Madhi Bharat Mae.

मध्य भारत में—

Vikas Kari.

विकास कार्य

१९५२-५३

1952-53.

Planning

सूचनाविभाग, मध्यभारत शासन द्वारा
विकास विभाग के लिए प्रकाशित

वर्ष प्रतिपदा, २०१०.

गवर्नमेण्ट सेण्ट्रल प्रेस,
ग्वालियर.

निवेदन

इन पृष्ठों में मध्यभारत शासन के विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा आर्थिक वर्ष १९५२-५३ में किये गये विशेष महत्वपूर्ण कार्यों की वास्तविक जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

विकास विभाग की ये प्रवृत्तियां, मध्यभारत के विस्तार व आवश्यकताओं के प्रमाण में बहुत अपर्याप्त हैं, इसका विभाग को पूरा ख्याल है। प्रस्तुत मर्यादित स्वरूप में भी उनमें सुधार की कितनी गुंजाइश है, यह विभाग जानता है।

सारांश, आज विभाग की जो स्थिति है उससे संतोष मान लेने की इस विभाग की वृत्ति नहीं है। क्योंकि, मध्यभारत में सच्चे अर्थ में विकास का कल्याणकारी क्रम प्रारम्भ और सम्पन्न करने के आज के सर्वोपरि महत्व के कार्य में शासन के इस विभाग पर जो उत्तरदायित्व है, उसके प्रति वह जागरूक है।

इस उत्तरदायित्व की पूर्ति करने की ओर बढ़ते हुए जो कुछ प्रारम्भिक कदम उठाए गये हैं उनका इस पुस्तिका में निर्देश मात्र किया गया है। वस्तुतः यह चित्र आरम्भ का ही है। उसे मध्यभारत के सर्वांगीण व अखण्ड विकास के क्रम में परिवर्तित करने की मैं प्रदेश की समस्त जनता के साथ मिलकर हृदय से कामना करता हूं।

चैत्र शु. १, सं. २०१०
दि. १६-३-१९५३.

अनुक्रमणिका

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ.	पंक्ति.	अशुद्धि.	शुद्धि.
११	२	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष
१५	३	सिसरिया	सिमरिया
२१	१७	दर	दूर
२१	२०	स	में
२१	२०	क	के
२५	८	ग्रामवार का	ग्रामवार विकास का
२६	१९	हेतु २०,०००	हेतु रु. २०,०००
२९	१३	लान	लाने
३२	६	ड्रनेज	ड्रेनेज
३५	१८	वैधानिक	वैज्ञानिक
३५	१८	पौधे	पौधों
३९	४	अधीन	आधीन
३९	५	था	तथा
४२	१०–११	जिसमें ४० विद्यार्थियों के शिक्षण की अवधि एक वर्ष की है	जिसमें ४० विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था है। शिक्षण की अवधि एक वर्ष की है।
४३	११	केन	केन्द्र
४३	११	चंवर्षीय	पंचवर्षीय

पृष्ठ.	पंक्ति.	अशुद्धि.	शुद्धि.
४३	१२	ै	है
४३	१२	प्रत्ेक	प्र्ेक
४३	१२	केन्	केन्द्र
४३	१५	ारा	द्वारा
४३	१५	ोने	हो
४३	१६	हे	हेतु
४३	१९	न	इन
४६	१	वज्ञानिको	वैज्ञानिकों
४६	९	दया गया	दिया गया है
४६	१०	मध्यभारत ने	मध्यभारत शासन ने
४७	१९	बढने वली	बढ़ने वाली
५०	१०	वैधानिक	वैज्ञानिक
५०	अंतिम पंक्ति	अधीन	आधीन
५७	२	. १,००,०००	रु. १,००,०००
६२	अंतिम पंक्ति	ह	है
६३	६	पंजी	पूंजी
६५	१	पुनगठन	पुनर्गठन
६५	२०	. २००	रु. २००
७३	२	६,००,०००	६०,०००
८१	१४	क	के

चम्बल घाटी विकास योजना

आर्थिक दृष्टि से देश के अनेक भागों की अभावग्रस्त स्थिति का मुख्य कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इन क्षेत्रों के योजना-बद्ध विकास (Planned Development) की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र के कर्णधारों का ध्यान देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा देशवासियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की ओर केन्द्रित हुआ है। राष्ट्र के निर्माण तथा पुनरुद्धार के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये, राष्ट्रीय सरकार ने योजना आयोग (Planning Commission) नियुक्त किया, जिसने गंभीर पर्यवेक्षण तथा जांच एवं विचार विनिमय के पश्चात् देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये बहुर्मुखी पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं नें प्राकृतिक साधन जैसे नदियों के जल का, विज्ञान तथा जन शक्ति की सहायता से समुचित उपयोग करने की ओर विशेष रूप से जोर दिया गया है। वर्तमान में, देश की कृषि-प्रणाली अधिकांश रूप से वर्षा की स्थिति पर ही निर्भर है। प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में हमारी नदियों की अखण्ड जल राशि सहस्रों वर्ग-मील के क्षेत्रों को बाढ़ से हानि पहुंचाती हुई, समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश की नदियों में जितना जल बहता है उसमें से केवल ६ प्रतिशत का ही उपयोग हो पाता है। इसलिये पंचवर्षीय योजना में नदियों में उपयुक्त स्थानों पर बांध बांधकर, उनके पानी को सिंचाई तथा बिजली पैदा करने के उपयोग में लेने के हेतु एक बड़ी धनराशि निर्धारित की गई है।

मध्यभारत तथा राजस्थान राज्यों की सबसे महत्त्वपूर्ण तथा बड़ी नदी चम्बल है जिसके क्षेत्र में ऐसे स्थल विद्यमान हैं जहां बांध बांधे जाकर उनसे उपलब्ध विस्तीर्ण जलराशि सिंचाई तथा बिजली पैदा करने के उपयोग में ली जा सकती है। पुराणों की पवित्र चर्मण्वती नदी, जो आजकल चम्बल के नाम से प्रख्यात है, विन्ध्या श्रेणी में समुद्र के सतह से २८०० फुट की ऊंचाई पर महू के पास जानापाव नामक स्थल से निकलकर मध्यभारत तथा राजस्थान के प्रदेशों में लगभग ६०० मील की यात्रा करती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। अपने स्रोत से लगभग २०० मील की दूरी पर भानपुरा तहसील में चौरासीगढ़ नामक स्थान के पास जाकर चम्बल एक गहरी, संकड़ी तथा चट्टानों से घिरी हुई पथरीली घाटी में प्रवेश करती है। प्रारम्भ में इस घाटी की चौड़ाई लगभग २५०० फुट है, किन्तु आगे जाकर यह चौड़ाई लगभग तीन मील तक केवल ६०० फुट रह जाती है तथा यहां सामान्यतः चट्टानों की ऊंचाई २०० से ३०० फुट तक है। यह स्थान बांध बांधने के लिये अत्यन्त उपयुक्त है तथा चौरासीगढ़ का वह स्थल जहां चम्बल पर्वतीय घाटी में प्रवेश करती है, एक प्राकृतिक जलाशय के रूप में परिणित किये जाने के उपयुक्त है।

चम्बल नदी पर बांध बांधकर उसके जल का उपयोग करने के सम्बन्ध में पिछले लगभग १० वर्षों से विचार किया जा रहा है। भूतपूर्व इन्दौर, उदयपुर तथा कोटा राज्यों ने नदी के जल का उपयोग करने के हेतु अपनी-अपनी योजनाएँ बनाई थीं, किन्तु विभिन्न कारणों से, जिनमें सम्बन्धित राज्यों द्वारा एकमत होकर सर्वमान्य निर्णय पर न पहुंचना तथा विशेषज्ञों और आर्थिक साधनों का अभाव मुख्य है, यह योजना कार्य रूप में परिणित न हो सकी। मध्यभारत बनने के बाद पिछले तीन,

चार वर्षों से इस योजना को गतिमान करने के हेतु प्रयत्न किये जा रहे थे किन्तु पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की जाने के कारण पिछले वर्ष तक योजना के अन्तर्गत विशेष प्रगति नहीं हो सकी।

पंचवर्षीय योजना तथा चम्बल योजना—

चम्बल योजना के इतिहास में वर्तमान आर्थिक वर्ष ५२-५३ स्वर्ण-पृष्ठ कहा जा सकता है। इस वर्ष न केवल योजना को कार्यान्वित करने में उपस्थित होनेवाली बाधाओं का निराकरण हुआ है, वरन् उसे अन्तिम निश्चयात्मक स्वरूप दिया जाकर निर्धारित अवधि में कार्य सम्पन्न किये जाने में अब कोई सन्देह नहीं रहा है। इस वर्ष का महत्त्वपूर्ण कार्य माननीय डॉ० कैलाशनाथ काटजू के विशेष प्रयत्न, तथा मध्यभारत और राजस्थान शासन के विशेष आग्रह से योजना आयोग के द्वारा चम्बल योजना का पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना, मध्यभारत विकास विभाग द्वारा राजस्थान व केन्द्रीय शासन से सम्बन्धित प्रारंभिक महत्त्व के लगभग सभी प्रश्नों का सुलझाया जाना और गांधी सागर बांध की नींव खुदाई के काम का प्रत्यक्ष प्रारंभ किया जाना है।

योजनाओं का विवरण

चम्बल योजना के अन्तर्गत तीन बांध व बिजली घर तथा "बैरेज' का निर्माण किया जायगा। इनमें से पहला गांधी सागर बांध, राजस्थान तथा मध्यभारत दोनों राज्यों की सीमा पर चोरासीगढ़ से नीचे की ओर ५ मील के फासले पर बनाया जायगा। इस बांध के बंध जाने पर जिस विशाल गांधी सागर का निर्माण होगा उसका क्षेत्रफल १८० वर्गमील होगा। राणा प्रताप सागर नामक दूसरा बांध राजस्थान में रावत-भट्टा के पास तथा चूलिया जल-प्रपात (Chulia Falls) के नजदीक

पहले बांध से लगभग २० मील दूर बनाया जायगा, जिसका फैलाव ६० वर्गमील होगा। तीसरा बांध कोटा से १० मील के फासले पर बांधा जायगा। सिरे पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा कोटा बांध की लम्बाई क्रमशः १,६७५ फुट, ३,६२० फुट तथा १,०५० फुट होगी तथा सतह से इनकी ऊंचाई क्रमशः २०० फुट, १२२।। फुट तथा ६५ फुट होगी।

इन तीनों बांधों से गुजरनेवाले पानी से क्रमशः ६०,०००, ९०,००० व ५०,००० किलोवाट की शक्ति के जल विद्युत् केन्द्र चलाये जायेंगे। अन्त में कोटा के नजदीक एक बेरेज बांधा जायगा जहां से दो प्रमुख नहरें नदी के शेष प्रवाह के दोनों ओर निकाली जायंगी और इनसे राजस्थान व मध्यभारत की १२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जायगी।

योजना के तीन भाग (stages)—

कार्य संचालन के हेतु चम्बल योजना तीन भागों में बांटी गई है। पहले भाग के अन्तर्गत गांधी सागर बांध, वहां का बिजली घर व उससे सम्बन्धित संवाहक तार, (Transmission System) राणा प्रताप सागर बांध तथा कोटा बेरेज व नहरों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इस सारे कार्य में ३३ करोड़ ७५ लाख के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इससे होनेवाला लाभ ५६-५७ में प्रारंभ होकर ६२-६३ तक पूरा यानी ६०,००० किलोवाट बिजली व बारह लाख एकड़ की सिंचाई के लिए जल मिलने लगेगा।

राणा प्रताप सागर बांध पर भूपाल बिजली घर तथा ट्रान्समिशन सिस्टिम के निर्माण कार्य की समाप्ति योजना का दूसरा भाग होगा, जिसमें ८ करोड़ ५ लाख की धनराशि व्यय होगी। तृतीय तथा अन्तिम

भाग के अन्तर्गत कोटा बांध तथा बिजली-घर के निर्माण की व्यवस्था की गई है जिसमें ७ करोड़ ५० लाख रुपया व्यय होगा। इस प्रकार योजना के तीनों भागों के निर्माण में कुल ४९ करोड़ ३० लाख रुपया व्यय होगा।

योजना के मुख्य लाभ.—

बिजली उत्पादन.—

चम्बल योजना से मध्यभारत तथा राजस्थान राज्यों के आसपास के क्षेत्रों को जो मुख्य लाभ होगा वह है अत्यन्त सस्ते भाव से बिजली तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध होना। मध्यभारत व राजस्थान में अभी कई भागों पर बिजली नहीं है। जहां बिजली है वहां वह कोयला व तेल से तैयार की जाती है, जो बहुत मंहगी पड़ती है। योजना के तीनों भागों का कार्य समाप्त हो जाने पर निश्चित आधार पर कुल दो लाख किलोवाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इन बिजली घरों के द्वारा उत्पन्न की गई बिजली का लाभ मध्यभारत, राजस्थान तथा अन्य राज्यों के जिन विस्तीर्ण क्षेत्रों में होगा उनमें जयपुर, अजमेर, ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा दोहद आदि नगर भी सम्मिलित हैं यह बिजली ८ पाई प्रति यूनिट के सस्ते भाव से दी जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे बड़े व गृह उद्योगों को ही नहीं, वरन् अन्त में कृषि को भी जो अपार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचनेवाला है, उसका विचार करने पर यह प्रकट हो जायगा कि इस योजना के फलस्वरूप देश के इन मध्यवर्ती क्षेत्रों का सारा नक्शा ही दूसरा बननेवाला है।

सिंचाई —

गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर का अतिरिक्त जल सिंचाई के हेतु कोटा बेरेज के द्वारा दो नहरों तथा प्रशाखाओं की सहायता से

राजस्थान राज्य के कोटा, बूंदी, सवाई माधवपुर तथा भरतपुर और मध्यभारत के मुरेना, भिन्ड तथा गिर्द जिलों के क्षेत्रों में ले जाया जायगा। इन जिलों की भूमि सिचाई के द्वारा कृषि कार्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त पाई गई है। इस योजना के द्वारा दोनों राज्यों की लगभग १२ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी तथा ४ लाख टन का वार्षिक अतिरिक्त कृषि-उत्पादन हो सकेगा। कृषकों को होनेवाले इस लाभ का न्यायोचित अंश जमीन की मूल्य वृद्धि शुल्क (Betterment Lavy) व सिचाई शुल्क के रूप में शासन को भी प्राप्त होगा। इसके प्रमाण एवं मात्रा के विषय में निश्चित रूप से शीघ्र ही निर्णय किया जायगा।

योजना की उपयोगिता तथा उसके द्वारा होनेवाले लाभ के सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा चुकी है तथा यह अनुमान लगाया गया है कि उसके पहिले भाग (First Stage) में सिंचाई तथा बिजली वितरण द्वारा २ करोड़ ३१ लाख की आमदनी होगी जिसमें संचालन तथा व्यवस्था आदि पर होनेवाले रु. ६९,०७,००० के व्यय को घटा देने पर शासन को १ करोड़ ६२ लाख की बचत होगी।

चम्बल योजना की अन्य योजनाओं से तुलना. —

चम्बल योजना की उपयोगिता का ठीक प्रकार से अनुमान लगाने के लिये देश की अन्य योजनाओं से उसकी तुलना करना अनुपयुक्त न होगा। चम्वल योजना में ४९ करोड़ ३० लाख रुपये व्यय होकर १२ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई तथा २ लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। हीराकुड योजना में चम्बल योजना से १३ करोड़ रुपये अधिक व्यय होकर उससे १ लाख एकड़ जमीन कम सींची जायगी तथा ५९,००० किलोवाट बिजली अधिक पैदा होगी। दामोदर घाटी योजना में चम्वल योजना से २५ करोड़ ८ लाख का अधिक व्यय होगा तथा उससे १ लाख एकड़ जमीन

की सिंचाई व ७५,००० किलोवाट विजली का उत्पादन अधिक होगा। कोसी योजना १०० करोड़ रुपये के अधिक व्यय पर चम्बल योजना के बरावर ही विजली उत्पन्न करेगी तथा उससे दुगुनी, लगभग २४ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करेगी।

योजना के अन्तर्गत पूर्व में किया गया कार्य.—

वर्तमान आर्थिक वर्ष तक चम्बल योजना के अन्तर्गत मध्यभारत शासन के द्वारा १ करोड़ ३० लाख से अधिक रुपये व्यय किये जा चुके हैं। फलस्वरूप गांधी सागर उपनिवेश (Gandhi Sagar Colony) के निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका है. विजली, पानी, तथा नालियां आदि की सुविधा के सहित यह एक छोटे से उपनगर के रूप में बनाया गया है जिसमें कई प्रकार के ८० भवन हैं। बांध के स्थल के नजदीक ही मजदूरों के रहने के लिए एक शिविर बनाया गया है। भानपुरा तथा गांधी सागर उपनिवेश के बीच के वन-प्रदेश में एक १८ मील लम्बी पक्की सड़क बनाई गई है। इसी प्रकार १२ मील लम्बी पक्की सड़क का एक टुकड़ा भानपुरा तथा झालावाड़ रोड़ रेलवे स्टेशन को मिलाने के लिए बनाया गया है। कार्य संचालन के हेतु औजार, मशीनें तथा अन्य साधन एकत्रित किये जा चुके हैं, और उनकी तत्काल मरम्मत और देखभाल के लिए एक वर्कशाप भी खोला गया है।

इस वर्ष के कार्य का विवरण.—

वर्तमान आर्थिक वर्ष में योजना के संबंध में अनेक कार्य जैसें गांधी सागर से शिविर (कन्स्ट्रक्शन केम्प) तक तीन मील लंबी सड़क दोवरा नाले का पुल, शिविर में २०४ मजदूर परिवारों के रहने के लिए मकान तथा मुख्य विश्राम-गृह का निर्माण आदि किये गये।

किन्तु यह सब प्रारंभिक स्वरूप के ही कार्य थे। खास योजना के कार्य में विशेष प्रगति करना अभी तक संभव नहीं हो सका था। इसका एक कारण यह था कि संपूर्ण योजना की विस्तृत जांच कर दोनों राज्यों के द्वारा अंतिम विवरण (Final Project Report) तैयार करने में पहले परिस्थितिवश कुछ विलंब हो जाने की वजह से केन्द्रीय योजना आयोग (Planning Commission) की स्वीकृति समय पर प्राप्त नहीं हो सकी थी। अन्त में वर्तमान आर्थिक वर्ष में माननीय डॉ. काटजू के सत् प्रयत्नों व केन्द्रीय सिंचाई व विद्युत् विभाग के मंत्री, माननीय श्री नन्दाजी एवं वित्त मंत्री माननीय श्री देशमुख की सहायता व सहयोग से चंबल योजना देश की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई। इसके उपरान्त भी मध्यभारत व राजस्थान राज्यों के बीच कुछ मूलभूत प्रश्नों का निर्णय होना शेष था जिसके कारण एक प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो गया था। यह प्रश्न मुख्यतः बेरेज के स्थान, नहरों की रूपरेखा तथा सिंचाई के क्षेत्र के संबंध में थे और गांधी सागर के जल का सिंचाई के हेतु उपयोग, कोटा बेरेज के निर्माण पर निर्भर होने से इस बेरेज के स्थान का ही निर्णय जब तक नहीं हो पा रहा था, तब तक आगे कोई प्रगति होना संभव न था। इसी प्रकार दोनों राज्यों के द्वारा चम्बल का पानी सिंचाई के हेतु किस अनुपात में उपयोग में लिया जायगा यह मुख्य प्रश्न भी पिछले दो वर्ष से विवादास्पद तथा अनिर्णीत ही बना हुआ था। सारी स्थिति का गंभीरता-पूर्वक अध्ययन करके शासन के चम्बल विभाग ने यह नीति निर्धारित की कि बेरेज के स्थान अथवा सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र का प्रश्न न उठाते हुए सबसे पूर्व दोनों राज्यों में उपलब्ध जल के न्यायोचित वितरण के आधारभूत प्रश्न का ही निर्णय किया जाय। श्री विकास मंत्रीजी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से की गई चर्चा तथा माननीय डॉ. काटजू एवं केन्द्र के विद्युत् एवं सिंचाई विभाग के उपमंत्री श्री जयसुखलाल जी आदि अधिकारी व्यक्तियों से किये गये

हमारी आशा—



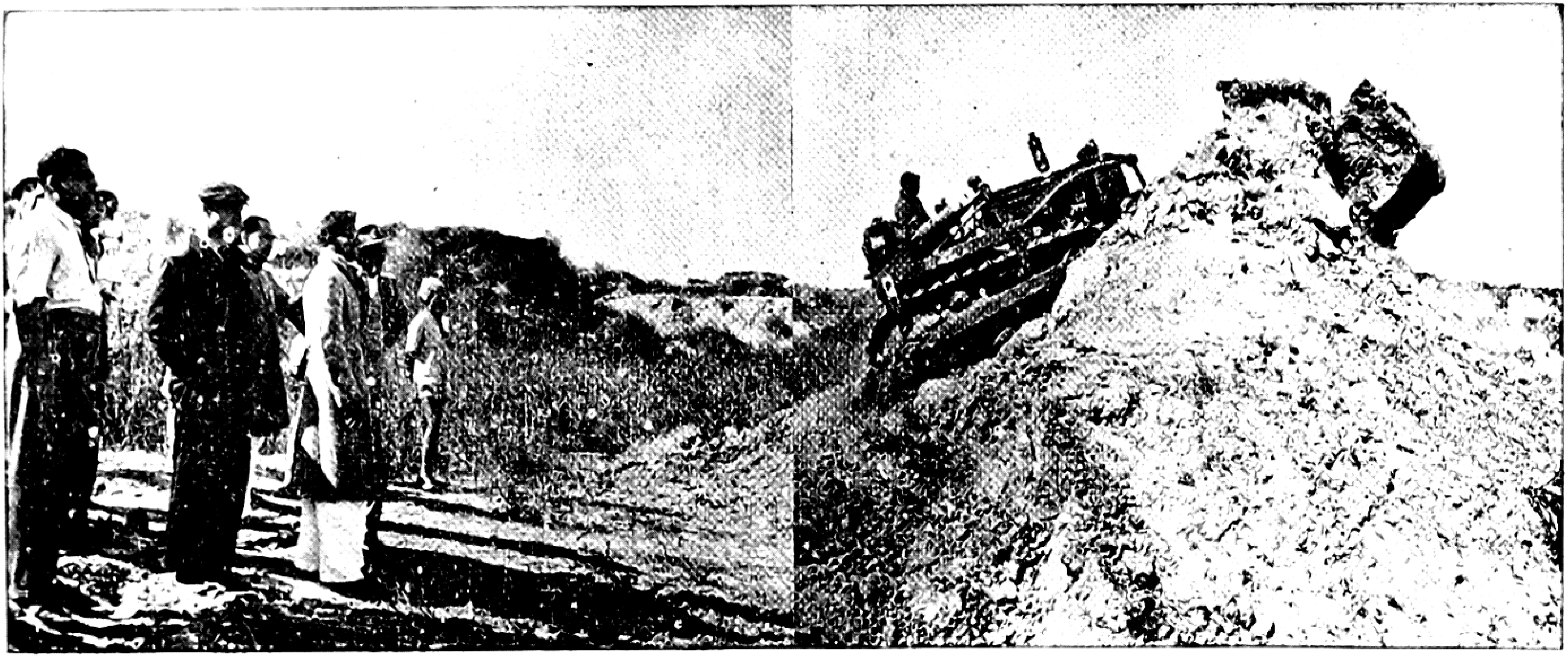
—वह स्थान जहां चंचल चम्बल बांधी

चंबल योजना के लिये—

अल्प-बचत योजना

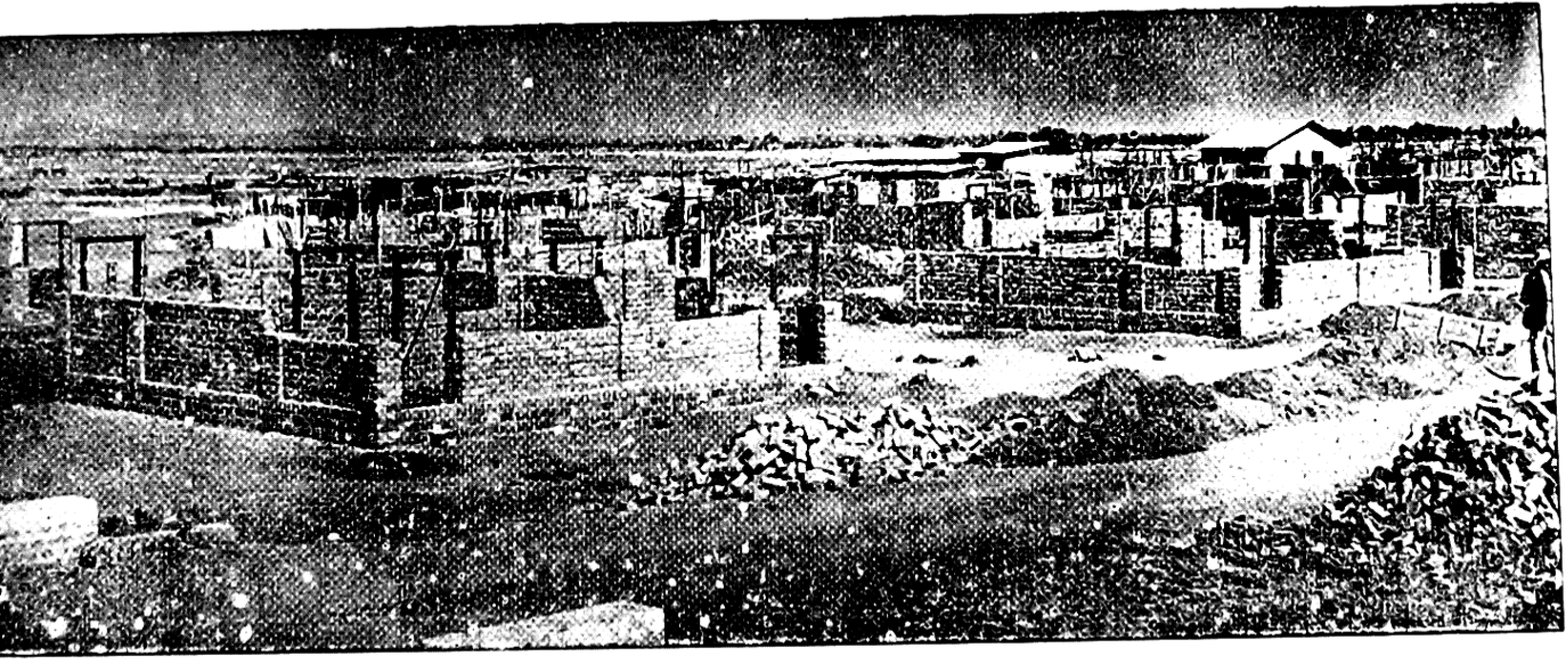
में

सहयोग देकर मध्यभारत की शस्य-श्यामला
भूमि को अधिक से अधिक उपजाऊ
बनाकर देश को धन-धान्य से
परिपूर्ण करने में हाथ
बटाइये !

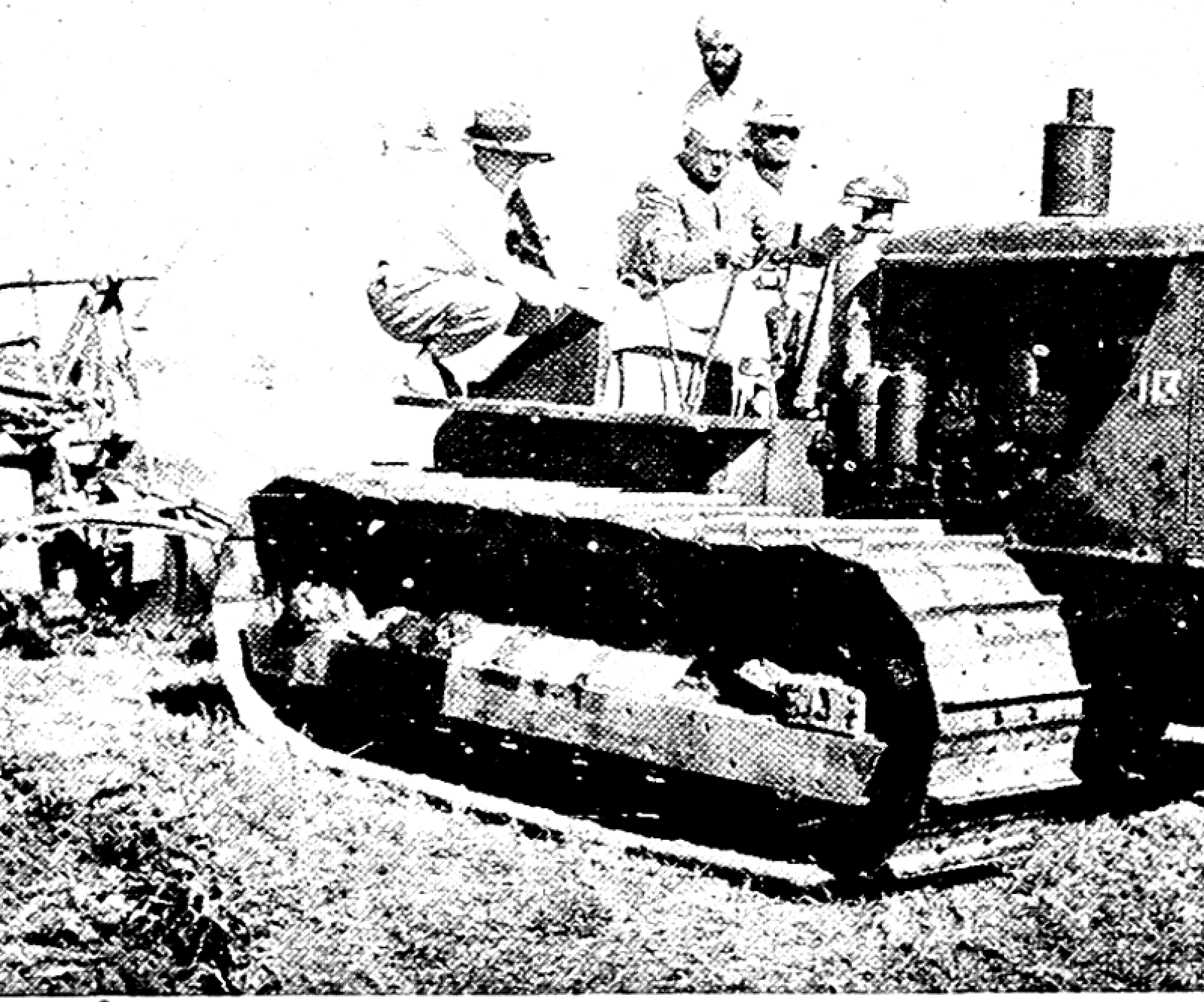


चम्बल की बीहड़ भूमि कृषि- योग्य बनाने का प्रयोग

नये मकान—



इन्दौर में श्रमिकों के लिए बन रहे नये मकान



उन्नत खेती के साधन



परामर्श से यही मत व्यक्त हुआ कि यदि चम्बल का पानी सिंचाई के हेतु दोनों राज्यों में समान रूप से वितरित किया गया तो वह न्याय-संगत होगा।

यह नीति निर्धारित हो जाने पर मध्यभारत के विकास मंत्री श्री व्यं. वि. द्रविड़ ने १ तथा दो मार्च १९५३ को दिल्ली में राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री जयनारायण जी व्यास, उप-मुख्य मंत्री श्री टीकारामजी पालीवाल तथा चम्बल विभाग के मंत्री श्री भोगीलालजी पंड्या से इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की। फलस्वरूप मध्यभारत तथा राजस्थान राज्यों के लिये यह अत्यन्त सौभाग्य तथा गर्व की बात है कि इस महत्त्वपूर्ण चर्चा में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चम्बल योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले जल को समान रूप से बांट लेने के संबंध में समझौता हो गया है। नदी के पानी के उपयोग के संबंध में दो राज्यों के बीच हुआ यह समझौता देश में पहला ही है। इसे संभव बनाने का बहुत बड़ा श्रेय राजस्थान शासन तथा वहां के मुख्य मंत्री एवं उपर्युक्त दोनों मंत्रियों को है जिनके सत् प्रयत्नों से एक बड़े गतिरोध का निराकरण होकर योजना को प्राण तथा चेतना प्राप्त हुई।

दिल्ली में हुई इस महत्त्वपूर्ण बैठक में इन दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा सिद्धान्ततः यह निश्चय किया गया कि चम्बल योजना पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य पर उससे होने वाले लाभ के प्रमाण में होगी, तथा भविष्य में उपस्थित होने वाले किसी भी प्रश्न का इसी प्रकार आपसी चर्चा के द्वारा हल निकाला जायगा। दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा एक मत से किये गये यह समझौते योजना आयोग के उसी दिन (ता: २ मार्च १९५३) के अधिवेशन में मान्य कर लिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, चम्बल योजना के संचालन के संबंध में समय समय पर प्रस्तुत होने वाले विविध महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर आवश्यकता पड़ने पर निर्णय करने के हेतु केन्द्रीय शासन के सिंचाई व विद्युत् विभाग के मंत्री

माननीय श्री नन्दाजी की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के चम्बल विभाग के मंत्रियों (श्री. द्रविड़ तथा श्री. भोगीलाल जी पंड्या) की एक उच्चस्तरीय समिति का निर्माण किया गया है।

इस प्रकार योजना के संचालन में अभी तक उपस्थित होने वाली अन्य कठिनाइयों का निराकरण हो जाने पर अब केवल आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न शेष रह गया था। सौभाग्य से राजस्थान तथा मध्यभारत शासन के प्रतिनिधियों के सम्मेलन के इस शुभ दिवस (२ मार्च १९५३) पर ही केन्द्रीय वित्त-मंत्री माननीय श्री चिन्तामणि देशमुख के द्वारा मध्यभारत व राजस्थान में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत आगामी ३ वर्षों में एकत्रित होनेवाली सम्पूर्णधनराशि चम्बल योजना के उपयोग में ली जाने के हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के फलस्वरूप मध्यभारत को केन्द्र की ओर से आगामी आर्थिक वर्ष ५३-५४ में कुछ धन राशि प्राप्त होगी उसमें से भी ७४ लाख रुपये शासन ने इस योजना में खर्च करने का निश्चय किया है। हाल ही में योजना आयोग (Planning Commission) के साथ चम्बल योजना का सारा कार्यक्रम निश्चित किया जा चुका है। मध्यभारत शासन का चम्बल विभाग, कार्यक्षमता, तत्परता एवं मितव्ययता के साथ इस कार्यक्रम की पूर्ति करने में दृढ़ प्रतिज्ञ है।

गांधी सागर बांध के नींव की खुदाई का कार्य, जिसका श्रीगणेश, गणतन्त्र दिवस, २६ जनवरी १९५३ के शुभ पर्व पर विकास मंत्री श्री द्रविड़ के हाथों से किया गया था, अब प्रगति के पथ पर है। मां चम्बल के इस विस्तीर्ण प्रांगण में आज अनेकों की संख्या में मजदूर इस भूमि को उर्वरा तथा शस्य श्यामला बनाने तथा इस प्रदेश को ज्योतिमय करके उस का नव-निर्माण करने में व्यस्त है। निस्संदेह, इस नये कल्याणकारी रूप को प्रकट करने और उसके द्वारा नवीन मध्यभारत का निर्माण करने में प्राणपण से योग देना प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य होगा।

कृषि विभाग

देश के अन्य प्रान्तों की तरह मध्यभारत का मुख्य उद्योग भी कृषि है। राज्य की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिये कृषि पर ही निर्भर है। मध्यभारत की जलवायु तथा यहां की भूमि की उत्पादन-क्षमता साधारणत: अन्य प्रान्तों की तुलना में संतोषजनक मानी जाती है, किन्तु पिछले कई वर्षों से राज्य के कई भागों में भूमि-क्षरण, वर्षा की कमी आदि अनेक प्राकृतिक कारणों से उत्पादन को भारी क्षति पहुंची है। दूसरी बात यह है कि मध्यभारत का किसान अपनी खेती के लिये अधिकतर वर्षा के जल पर ही निर्भर रहता है। कुंवें, तालाव आदि के पानी के द्वारा तथा पंप लगाकर सिंचाई करने और सुधरे हुए वीज, खाद, रसायनिक खाद आदि का उपयोग कर पैदावार बढ़ाने की ओर उसका ध्यान अभी तक विशेष रूप से आकृष्ट नहीं हुआ है।

विभाग का उद्देश्य तथा नीति.—

ऐसी स्थिति में मध्यभारत के कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये गहन कृषि प्रणाली की ओर प्रवृत्त करने का है। यह उत्पादन विविध प्रकार का होना उपयुक्त है। इसलिये कृषि के साथ ही बागवानी और पशुपालन के व्यवसाय का संयोग होना आवश्यक है। ऐसी सर्वांगीण तथा भरपूर खेती (Mixed and intensive farming) मध्य भारत में प्रचलित करना, विभाग का उद्देश्य है।

इस संबंध में विभाग ने साधारणत: छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों को आर्थिक एवं टेक्निकल सहायता प्रदान करने की नीति अपनाई है।

यद्यपि विस्तृत क्षेत्रों को प्रथम बार कृषि के योग्य बनाने के लिये ट्रेक्टरों आदि आधुनिक यंत्रों के प्रयोग में शासन की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है तथापि मध्यभारत के बहुसंख्यक किसानों की स्थिति को देखते हुए शासन की मुख्य नीति बैलों की सहायता से की जाने वाली खेती को प्रमुखता देने की है।

कृषि में स्थायी व निश्चित सुधार स्वयं कृषकों के ऊपर ही निर्भर होने से अलग-अलग गांवों के समूह के समझदार तथा प्रगतिशील किसानों को चुनकर उनके खेतों में उस क्षेत्र के अनुकूल गहन तथा मिश्र कृ (Intensive and mixed farming) के प्रत्येक्ष प्रयोग कराना, यह शासन का उद्दिष्ट कार्यक्रम है, ताकि उस सुधरी हुई प्रणाली का गांवों के अन्य किसानों में प्रभावोत्पादक प्रसार हो सके। इस दिशा में शीघ्र ही क्रियात्मक कदम उठाया जा रहा है।

प्रान्त के विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान की उच्च शिक्षा देने के साथ ही आस पास के गांवों में प्रयोग व प्रचार का प्रत्यक्ष काम उनसे करवाना, किसानों के लड़कों को कृषि की यथोचित शिक्षा देना तथा कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और प्रचार इन तीनों प्रवृत्तियों में अधिकाधिक समन्वय प्रस्थापित करना शासन का लक्ष्य है।

विभाग का संचालन. –

मध्यभारत बनने के पूर्व ग्वालियर, इन्दौर, धार, देवास आदि कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य छोटी रियासतों में किसानों को कृषि के संबंध में मार्गदर्शन करने के हेतु कोई पृथक विभाग नही था। प्रान्त बनने के बाद नये रूप से कृषि विभाग स्थापित किया जाकर उसका संचालन कृषि संचालन के अधीन रखा गया। वर्तमान आर्थिक वर्ष में कृषि संचालक तथा उत्पादन

आयुक्त के पदों को बचत एवं कार्य की सुविधा की दृष्टि से एक कर उस पर श्री पी. एस. बापना की नियुक्ति की गई थी। गत फरवरी माह में श्री बापना के डेवलपमेण्ट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति होजाने के फल स्वरूप श्री कर्णीकर, लैण्ड रिक्लेमेशन कमिश्नर, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर नियुक्त किये गये हैं। कृषि महाविद्यालय तथा विभाग की अनुसंधान शाला के संचालन के लिये प्लाण्ट इंस्टिट्यूट इन्दौर के तत्कालीन डायरेक्टर श्री शंकरन् की नियुक्ति प्रिन्सिपल तथा जाइंट डायरेक्टर रिसर्च के पद पर की गई है।

कृषि विभाग के एकीकरण के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है। कृषि सेवा नियम भी बनाये जा चुके हैं। विभाग के एकीकरण और कृषि सेवा नियमों पर शासन की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जायगी।

अधिकारियों का शिक्षण.—

टेक्निकल सहयोग समझौते के अन्तर्गत, पेस्ट कंट्रोल प्रणाली (Pest Control Methods) का प्रशिक्षण प्राप्त करने के हेतु राज्य के एन्टेमोलॉजिस्ट (Entomologist) श्री पुरोहित इंग्लैण्ड भेजे गये थे, जहां से शिक्षा प्राप्त कर वे जनवरी माह में लौट आये हैं। इसी प्रकार अध्ययन अवकाश पर अमेरिका गये हुए विभाग के उपसंचालक, श्री भार्गव को अमेरिका में विस्तार सेवा प्रणाली (Extension Methods) का अध्ययन करने के हेतु शासन की ओर से मनोनीत किया गया था। वह भी शिक्षा प्राप्त कर वापस आचुके हैं। कृषि विभाग के डिमॉन्स्ट्रेटर्स को इस वर्ष इन्दौर तथा ग्वालियर में शिक्षा (Refresher's Course training) प्रदान की गई।

कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य —

प्रान्त के विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान की शिक्षा देने के लिये जुलाई सन् १९५० में ग्वालियर में कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया है। पहले इसका कृषि अनुसंधानशाला से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। कृषि अनुसन्धान तथा कृषि शिक्षण यह दोनों एक दूसरे के पूरक अंग हैं तथा इनका समन्वय दोनों के विकास में सहायक होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वर्तमान आर्थिक वर्ष में कृषि अनुसंधान (Agricultural Research) तथा कृषि शिक्षा (Agricultural Teaehing) इन दोनों का सीधा संपर्क स्थापित करने के हेतु कृषि महाविद्यालय के प्रिन्सिपल को जाइंट डायरेक्टर, रिसर्च के पद पर नियुक्त किया गया है। अनुसंधान शाला के अधिकारियों द्वारा अब कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी अनुसंधान संबंधी ज्ञान दिया जाता है।

कृषि महाविद्यालय.—

मध्यभारत में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो जाने से राज्य के एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो गई है। महाविद्यालय में इस समय लगभग १३० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की परीक्षाओं का संबंध (affiliation) अस्थायी रूप से आगरा विद्यालय से स्थापित किया जा चुका है। आगामी अप्रेल सन् ५३ में सात विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। महाविद्यालय की सीमा में ही लगभग ६० विद्यार्थियों के रहने के लिये छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे विद्यार्थियों को जिनके पिता किसान हैं अथवा ५० रु. मासिक से कम आमदनी वाले शासकीय सेवक हैं, महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

विद्यार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष सेवा कार्य.—

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आसपास के गांवों में ले जाकर किसानों के खेतों में प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है जिससे विद्यार्थियों के साथ ही किसानों को भी लाभ हो सके। इस वर्ष विद्यार्थियों द्वारा सिसरिया, जहांगिरपुर आदि गांवों में ऐसे रचनात्मक कार्य किये गये। महाविद्यालय के ७ विद्यार्थियों ने पूना, बंगलोर तथा कोइम्बटूर की यात्रा कर वहां के सुप्रसिद्ध महाविद्यालयों एवं कृषि अनुसंधानशालाओं में कृषि विज्ञान संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

कृषि विद्यालय.—

खेती की सामान्य शिक्षा किसानों के लड़कों को देने के लिये लश्कर में एक कृषि विद्यालय चलाया जारहा है जिसमें २ वर्ष तक शिक्षण दिया जाता है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी या तो अपने खेतों में जाकर प्रत्यक्ष कृषि के द्वारा इस शिक्षण का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा उन्हें कृषि विभाग में डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पर नियुक्त किया जाता है। विद्यालय में इस वर्ष ४० छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय में ग्राम्यस्तर के कार्यकर्त्ताओं (Village level workers) तथा विभाग के डिमॉन्स्ट्रेटर्स को भी शिक्षण दिया जाता है।

कृषि अनुसंधान

कृषि विभाग की दूसरी प्रमुख कार्यप्रवृत्ति अनुसंधान के द्वारा सुधरे बीज तथा उपयुक्त खाद आदि के प्रयोग तथा पौधों को लगनेवाली बीमारियों एवं कीटाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियों की खोज करना है जिससे इन प्रयोगों का उपयोग अधिक अन्न उत्पादन में किया जा सके।

अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का अनुसंधान.—

वर्तमान आर्थिक वर्ष में विभागीय अनुसंधानशाला में किये गये अनुसंधानों से बीजों की अधिक उत्पादन देने वाली जातियां निकाली गई हैं जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं।--

धान	..	वाकुरा नं. १ तथा टी २१ एम. टी. यू. १८ तथा राजूरी.
जुवार	..	१२—२ तथा उज्जैन ९.
गेहूं	..	एन. पी. १७० तथा एन. पी. ७२०.
कपास	..	८६, १६—५ तथा ७.
बाजरा	..	बडोदा नं. ५.

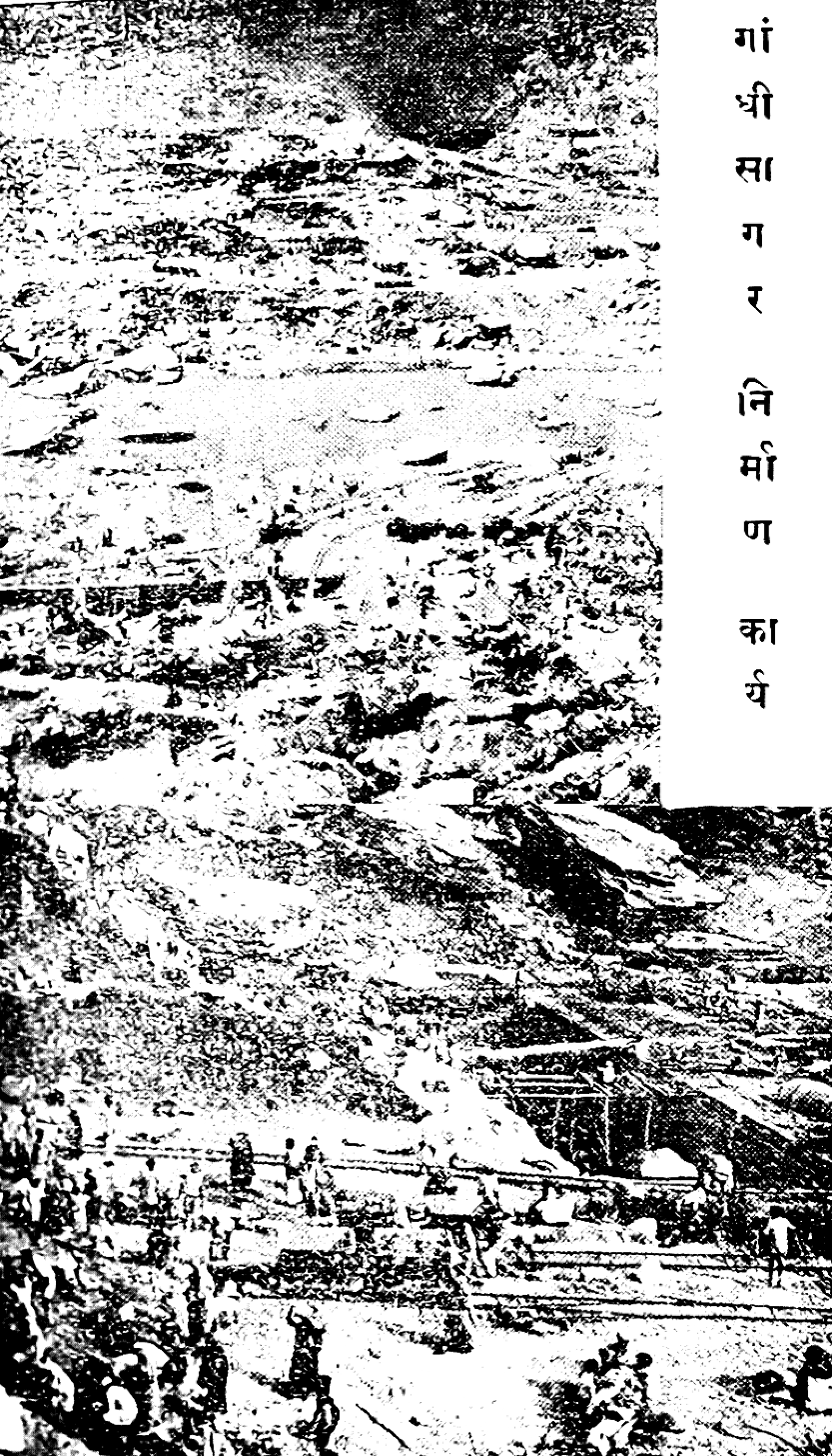
कपास के सुधरे हुए बीजों के संबंध में अनुसंधान कार्य.—

इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी के तत्वावधान में निमाड़ के देशी कपास का अनुसंधान किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के अनुसंधान के फलस्वरूप डी. ४६–५, डी. ४४.२०, डी. ४७.२१ तथा डी. ४८–१५४ जाति के निमाड़ी तथा जरिल्ला कपास के सुधरे हुए बीज अधिक उपज पैदा करने वाले पाये गये। कार्य की प्रगति को देखकर कमेटी ने अनुसंधान कार्य की योजना की अवधि ५ वर्ष के लिये और बढ़ा दी है।

मालवा क्षेत्र के दक्षिणी भाग की भूमि भी लम्बे रेशे की अमेरिकन कपास के लिये अत्यंत उपयुक्त पाई गई है। इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी ने रु. ४५,००० के व्यय की एक तीन वर्षीय योजना स्वीकृत की है जिसके अंतर्गत बदनावर क्षेत्र में लम्बे रेशे की अमेरिकन कपास के उत्पादन के हेतु अनुसंधान कार्य किया जायगा। योजना के अन्तर्गत प्रारंभिक कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

कपास के क्षत्र में वृद्धि करने की योजना.—

भारत सरकार ने कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु एक योजना (Cotton Extension Scheme) स्वीकृत की है जिसका मूल उद्देश्य



गांधीसागर निर्माण कार्य

अन्न संकट से मुक्ति



गेहूं की

आलू की उपज



कपास के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना तथा उसके बीज में सुधार करना है। यह योजना मध्यभारत में भी सन् १९५० से कार्यान्वित की जा रही है तथा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कपास का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाय।

प्लांट इन्स्टीट्यूट, इन्दौर, जिसे शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, मालवा क्षेत्र की कृषि की विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान कर रहा है।

गेहूं का गेरुआ रोग.

वर्तमान आर्थिक वर्ष में विभागीय अनुसंधान शाला में गेहूं को लगने वाले गेरुआ रोग के निरोध के संबंध में अनुसंधान कार्य किया गया। इस रोग को नष्ट करने के संबंध में अनुसंधान किये गये हैं किन्तु अभी तक केवल इतना ही ज्ञात हुआ कि बीजों की कुछ जातियां ऐसी हैं जिस पर इस रोग के आक्रमण का प्रभाव कम रहता है। अभी तक किये गये अनुसंधान से ई–१४४. ई–२२०, केनफाड २१, २८ व ३४ जाति के गेहूं इस प्रकार के पाये गये हैं जिनकी फसलें गेरुआ रोग से सुरक्षित रह सकती हैं। इस संबंध में अनुसंधान कार्य जारी है।

जुआर में कड़वा रोग लग जाने के कारण प्रायः प्रति वर्ष १० प्रतिशत उपज को रोग से हानि पहुंचती है। अनुसंधान के द्वारा अब यह निश्चय किया जा चुका है कि बीज बोते समय उसमें रसायनिक गंधक मिलाने से फसल को रोग से हानि नहीं पहुंचती। प्रयोग के लिये केवल एक औंस या आधी छंटाक गंधक ८ पौंड बीज के लिये पर्याप्त होता है। इस वर्ष गंधक की एक औंस की ११५३२ पुड़ियां विभाग के द्वारा तैयार की जाकर ६ पाई प्रति पुड़िया के न्यूनतम मूल्य पर २३०६४ एकड़ भूमि में प्रयोग करने के हेतु वितरित की गई। इसी प्रकार आम के फल को बीमारी (Mildew) से बचानेके लिये ५०० वृक्षों पर गंधक छिड़क कर उन्हें हानि से बचाया गया।

आधाशीशी आदि हानिकारक पौंधौं को नष्ट करने के लिये "डी. सी. पी. ए. ग्रुप" का रसायनिक हरमोन प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। डेढ़ पौंड रसायन १०० गेलन पानी में मिलाकर छिड़कने से लगभग एक एकड़ जमीन के पौधे नष्ट किये जा सकते हैं। इन पौधौं को रसायनों के द्वारा नष्ट करने की विभाग के द्वारा बनाई गई एक योजना इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा मान्य कर ली गई है जिसके संबंध में प्रारम्भिक प्रयोगात्मक कार्यवाही अप्रैल, १९५३ से प्रारम्भ की जायगी।

भूमि विश्लेषण. --

अनुसंधान शाला में मुरेना जिले की भूमि के नमूनों तथा खरगोन, भेलसा, महागढ़, ब्यावरा और ग्वालियर के कृषि फार्मों की भूमि की जांच तथा विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है।

कृषि फार्मों का पुनर्गठन.—

ग्वालियर का १६० एकड़ का केन्द्रीय प्रयोगात्मक फार्म (Central Agricultural Farm) जो पूर्व में मुख्यत: फसलों के लिये अधिक उत्पादन के प्रयोगात्मक कार्यों के उपयोग में ही लिया जाता था, अब अन्वेषण कार्य के उपयोग में भी लिया जा रहा है, साथ ही इसका लाभ कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो रहा है।

मध्यभारत में कृषि के जो अनेक फार्म हैं, उनमें से केवल उपयोगी फार्म के पुनर्गठित रूप में कायम रख कर शेष को तोड़ने के संबंध में बनाई गई एक योजना शासन के विचाराधीन है। वर्तमान फार्मों में से बागवाई, भेलसा, ब्यावरा तथा खरगोन के फार्मों का पुनर्गठन कर उन्हें क्षेत्रीय अनु-संधान केन्द्रों (Regional Research Institu) में परिणित करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

विभाग की अन्य विविध प्रवृत्तियाँ

सुधरे हुए बीजों का वितरण.—

कृषि के प्रचार तथा प्रसार, (Extension) विभाग के द्वारा, कृषकों को सुधरे हुए बीज एवं खाद आदि का वितरण किया गया। सुधरे हुए बीजों से साधारणतः दस प्रतिशत अधिक उत्पादन होता है। वर्तमान आर्थिक वर्ष में २५५६ टन गेहूं, २८४ टन चना, १९३ टन ज्वार, २२० टन साल तथा २०२ टन आलू के सुधरे हुए बीज कृषकों को वितरित किये गये। साथ ही ८,७१,१७४, टन गन्ना तथा १६ टन मूंगफली, १३ टन जौ और ७५९ टन कपास के सुधरे हुए बीजों का वितरण किया गया।

खाद तथा रसायनिक खाद का विवरण.—

सुधरे हुए बीजों के अतिरिक्त कृषि विभाग के द्वारा दिसम्बर १९५२ के अन्त तक ८२३ टन अमोनियम सल्फेट, १७९ टन सुपरफास्फेट, ९६ टन खाद मिश्रण, ३८० टन मूंगफली की खली का खाद, ३६५ टन सन के बीज उत्पादन बढ़ाने के हेतु किसानों को वितरित किये गये। साथ ही ४५,१०० टन तैयार की गई कम्पोस्ट खाद में से १८,१९७ टन खाद लगभग ६,०६५ एकड़ भूमि म प्रयोग करने के हेतु दिया गया। विभाग के प्रचार के द्वारा गावों में ८,७६३ खाद के गड्ढे खुदवाये गये जिनमें दिसम्बर माह के अन्त तक ८५२ टन खाद तैयार हो चुका है।

कपास तथा गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना.—

कपास तथा गन्ना मध्यभारत की प्रमुख व्यवसायिक फसलें (Commercial Crops) हैं। पंच-वर्षीय योजना में इन फसलों की उपज बढ़ानें की व्यवस्था की गई है जिससे राज्य के कपड़ा तथा गन्ना उद्योगों को

पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो सके। आगामी वर्ष ५३-५४ में कपास के अधिक उत्पादन के लिये १४,००० मन खाद तथा ४०,००० मन शुद्ध बीज वितरण किया जायगा तथा कपास की खेती का क्षेत्रफल लगभग एक लाख एकड़ बढ़ाया जायगा। इसी प्रकार ५,४५० मन गन्ने का नई जाति का बीज तथा १५० टन खाद व अमोनियम सल्फेट वितरित किया जाकर गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन ५० मन अधिक बढ़ाने की योजना शासन ने बनाई है।

गन्ने के उत्पादन में वृद्धि.—

खाद के प्रयोग तथा कृषि की सुधरी हुई प्रणाली के द्वारा हरसी क्षेत्र में गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में इस वर्ष संतोषजनक वृद्धि हुई है। गत वर्ष की १८ लाख मन गन्ने की उपज के बजाय इस वर्ष २८ लाख मन गन्ना पैदा हुआ, साथ ही गन्ने की खेती का क्षेत्र भी ८,००० एकड़ से बढ़कर १०,००० एकड़ हो गया है।

शाक भाजी तथा फल की खेती —

शाक-भाजी तथा फलों के उत्पादन में वृद्धि करके आंशिक रूप से अन्न की कमी की पूर्ति की जा सकती है। स्वास्थ्य के लिये आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण संतुलित आहार उपलब्ध करनें की दृष्टि से भी शाक-भाजी व फलों की पैदावार बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिये विभाग की ओर से कृषकों को शाक-भाजी की खेती करने तथा विभिन्न फलों के पौधे लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान आर्थिक वर्ष में विभिन्न प्रकार के शाक-भाजी के १४० पौंड बीजों का वितरण किया गया तथा १,२९,२६३ फल के पौधे किसानों द्वारा अपने खेतों में लगाये गये।

सिंचाई के लिये नये कुँवें बनवाना तथा पुराने कुँवें की दुरुस्ती.—

कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य साधन सिंचाई ही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के परामर्श से वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में किसानों के द्वारा १८८ नये कुए बनवाये गये तथा ३८१ पुराने कुए दुरुस्त करवा कर सिंचाई के योग्य बनाये गये। साथ ही ४४ कुओं पर मशीन से चलनेवाले पंप लगाये गये जिससे ५०० एकड़ नई भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई। कृषि-उत्पादन विभाग का इस दिशा में किया गया कार्य इस से भिन्न है।

सुधरे हुए कृषि-यंत्रों का प्रदर्शन.—

शिक्षा के अभाव तथा स्वभाव एवं संस्कार के कारण किसान कृषि की किसी भी नई प्रणाली का प्रयोग करने में झिझकते हैं। यही कारण है कि कृषि के सुविधापूर्ण आधुनिक यंत्र अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंच पाये हैं। वर्त्तमान वर्ष में विभाग ने इन यंत्रोंका २७५ एकड़ भूमि में प्रदर्शन किया तथा किसानों द्वारा उन्हीं के बैलों से इनका प्रयोग करवाकर इनकी उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से बतलाई गई। इन प्रदर्शनों के फलस्वरूप कई किसानों ने लोहे के आधुनिक हल, च.फकटर्स (कुटी करने की मशीन) लोहे के रहट, कराह (Leveller) आदि खरीदे हैं। विभाग की ओर से इन यंत्रों का एक सेट प्रत्येक जिले में प्रदर्शन के हेतु रखा जा रहा है।

विभागीय ट्रेक्टरों का प्रयोग.—

किसानों के पास आवश्यक साधन उपलब्ध न होने से कई बंजर भूमि के क्षेत्रों का उपयोग नहीं हो पाता। ऐसे दूर तक फैले हुए किन्तु एक दूसरे से जुटे हुए बंजर खेतों को ट्रेक्टरों से आसानी तथा बिना अधिक व्यय के कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कृषि विभाग अपने ट्रेक्टरों की सहायता से तकावी के आधार पर इस प्रकार के खेतों को जोतकर कृषि के योग्य

बनाता है। इस वर्ष ३,२०० एकड़ भूमि को ट्रेक्टरों के द्वारा जोतकर कृषि योग्य बनाई गई।

भूमि-क्षरण की रोक के उपाय व प्रचार.—

भूमि-क्षरण को रोक कर जमीन की उत्पादन क्षमता बनाये रखने के लिये विभाग कृषकों को बांध-बंधिया डालने की परामर्श देता है। वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में १०,५८९एकड़ भूमि के खेतों में बांध बांधने का कार्य किसानों से करवाया गया।

आधाशीशी-उन्मूलन.—

व्यापक प्रचार तथा प्रदर्शन के द्वारा आधाशीशी और कांस के उन्मूलन के लिये विभाग प्रयत्न कर रहा है। विभाग के प्रचार के फलस्वरूप इस वर्ष १२७३५ एकड़ भूमि में से आधाशीशी उन्मूलन किया जाकर जमीन कृषि के योग्य बनाई गई।

चावल की जापानी प्रणाली.—

बम्बई राज्य में किये गये चांवल की जापानी प्रणाली (Japanese Method of rice) के प्रयोग की सफलता को देखकर केन्द्रीय शासन ने तमाम राज्यों को जहां चावल का उत्पादन होता है, इस प्रणाली का अनुसरण करने की सिफारिश की है। मध्यभारत में भी उन क्षेत्रों में जहां चावल का उत्पादन होता है इस प्रणाली का अनुसरण करने के सम्बन्ध में प्रचार कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

बाग-बगीचे

मध्यभारत के समस्त शासकीय बाग-बगीचे उत्तरी, मध्यवर्त्ती तथा दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किये जाकर इनका संचालन चीफ कंजरवेटर ऑफ

फोरस्ट्स के आधीन रखा गया है । वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में उद्यान विभाग के द्वारा कई नगरों के उद्यानों का पुनरुद्धार किया गया तथा उनमें नई जाति के पौधे लगाये गये । शासकीय भवनों के उद्यानों में पड़ी हुई बंजर भूमि छोटी क्यारियों में परिणित की गई है । मोती महल सचिवालय क उद्यान में इस वर्ष सुधार किया जाकर उसे अत्यन्त सुन्दर तथा शोभनीय बनाया गया । जनता की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूर्त्ति करने के लिये शासकीय "फ्रूट स्टेशन" तथा "गार्डन नर्सरीज" में कई पौधों की व्यवस्था की गई है । अच्छी जाति के पपीते तथा आम के पौधे भी उद्यानों में लगाये गये हैं । मांडव की नर्सरी में भी कई पौधों की व्यवस्था रखी गई है जिनका उपयोग प्रधान मंत्री पं. नेहरू के आगमन के समय शोभा बढ़ाने के हेतु विभाग द्वारा किया गया था । वृक्षारोपण सप्ताह में विभाग के द्वारा बहुत अधिक संख्या में फल के पौधे लगाये गये ।

कृषि उत्पादन विभाग

आज हमारे प्रान्त की ही नहीं, अपितु सारे देश की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या कृषि तथा अधिक अन्न उत्पादन की है। हमारे राज्य का अस्तित्व ही खेती पर है, और दुर्भाग्य से हमारे अर्थ-तंत्र का यही दुर्बलतम अंग है। देश की बढ़ती हुई आबादी और आवश्यकताओं को देखकर हम न केवल अनाज के उत्पादन में पीछे हैं, वरन् साग सब्जी, फल और मछली के उत्पादन में हमारी दशा और भी शोचनीय है।

इस कमी की पूर्त्तिकी ओर मध्यभारत शासन की पंच-वर्षीय योजना में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। यह पूर्त्ति दो प्रकार से की जा सकती है—एक, विस्तृत कृषि (Extensive Cultivation) के द्वारा तथा दूसरा गहन कृषि (Intensive cultivation) प्रणाली से। विस्तृत कृषि से अधिक जमीन जोतकर कृषि क्षेत्र का विस्तार करने से तात्पर्य है और गहन कृषि से भूमि में सुधरे हुए बीजों का उपयोग तथा उत्तम एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने का आशय है।

विस्तृत कृषि, गहन कृषि तथा विस्तार-सेवा संगठन—

विस्तृत कृषि के अन्तर्गत शासन की यह योजना है कि जिन क्षेत्रों में कांस के पैदा हो जाने से जमीन कृषि के अयोग्य हो गई है, वहां ट्रेक्टरों के द्वारा उसका उन्मूलन किया जाकर जमीन खेती के योग्य बनाई जाय। इसी प्रकार शासकीय तथा किसानों के ट्रेक्टरों और बैलों की सहायता से अधिक से अधिक पड़त जमीन कृषि के अन्तर्गत लाई जाय। गहन कृषि के अन्तर्गत सिचाई की छोटी छोटी योजनाएँ जैसे कुओं का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, रहट और पम्प लगाना, खाद तथा रसायनिक खाद और सुधरे हुए बीज का प्रयोग आदि की व्यवस्था की गई है। विस्तृत तथा

गहन कृषि के अतिरिक्त लगभग १० से १२ लाख एकड़ भूमि के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को विस्तार सेवा संगठन (Extensive Service) के द्वारा विशेष रूप से विकसित करना भी कृषि उत्पादन योजना का महत्वपूर्ण अंग है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि जनता का विशेषतः कृषक वर्ग का सहयोग प्राप्त हुआ तो कृषि उत्पादन की इस पंच वर्षीय योजना से सन् १९५५-५६ तक लगभग १ लाख ६८ हजार टन अधिक अनाज उत्पन्न हो सकेगा। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक अन्न उत्पादन के हेतु किये जानेवाले कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वार का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम बनाने में स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

विभाग का संचालन—

गत जनवरी १९५३ तक कांस उन्मूलन की योजना लैण्ड रिक्लेमेशन कमिश्नर तथा कृषि उत्पादन की योजनाएँ कृषि उत्पादन कमिश्नर के द्वारा संचालित की गई। इसके उपरान्त श्री पी. एस. बापना की डेवलपमेन्ट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को जाने के फलस्वरूप लैण्ड रिक्लेमेशन कमिश्नर का पद गत फरवरी माह से कम किया जाकर श्री कर्णिकर को कृषि संचालक तथा कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। विस्तार सेवा कार्य (Extension work) के लिये डायरेक्टर एक्सटेन्शन का एक अलग पद निर्माण किया गया है जो कार्य की सुविधा की दृष्टि से कृषि संचालक के आधीन रखा गया है।

विस्तृत कृषि

ट्रेक्टरों का उपयोग तथा कृषकों को तकावी—

जमीन को ट्रेक्टरों की सहायता से कृषि योग्य बनाने के लिये पिछले वर्ष (जून १९५२ अन्त तक) केन्द्रीय संगठन के तीन यूनिट (४५ ट्रैक्टर)

दिये गये थे, जिनके द्वारा भेलसा तथा ईसागढ़ क्षेत्र में ४५,००० एकड़ जमीन कृषि योग्य बनाई जा चुकी है। ४,००० एकड़ जमीन, झाड़ियों तथा जंगली पेड़ों की सफाई करके कृषि के योग्य बनाई गई। भूमि को कांस आदि घासों की पकड़ से मुक्त करने की यह महत्त्वपूर्ण योजना भेलसा एवं गुना जिले में चल रही है। लेण्ड रिक्लेमेशन विभाग के ११ ट्रेक्टरों ने कृषि योग्य बनाई गई ३,१०० एकड़ जमीन में किसानों को अनुसरण कार्य (Follow up Cultivation) जैसे, भूमि जोतने, पटेला देना और बीज बोने में सहायता प्रदान की। इससे अन्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

गत जनवरी १९५३ से केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के द्वारा अशोकनगर तथा भेलसा परगनों में कांस उन्मूलन कार्य आरम्भ हो गया है तथा फरवरी माह के अन्त तक लगभग २०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है। कार्य की प्रगति को देखकर विश्वास किया जाता है कि लक्ष्य के अनुसार मई माह के अन्त तक ६०,००० एकड़ भूमि ट्रेक्टरों द्वारा कृषि-योग्य बनाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के ट्रेक्टरों द्वारा लगभग १५,००० एकड़ जमीन और कृषकों के द्वारा छोटे-छोटे भागों में फैली हुई लगभग १,००,००० एकड़ जमीन इस वर्ष कृषि के योग्य बनाई जायगी। किसानों को ट्रेक्टर तथा उसके औजार आदि खरीदने के लिये रु. २,३०,७५० तकावी ऋण तथा यांत्रिक कृषि के हेतु . २०,००० ऋण इस वर्ष स्वीकृत किया गया है।

बैल तकावी—

अधिकांश किसानों के साधन सीमित होने तथा उनके पास जमीन के छोटे-छोटे भाग होने के कारण यह संभव नहीं कि अधिक स्थानों पर

जमीन ट्रैक्टरों द्वारा जोती जा सके। अतएव कृषि उत्पादन योजना में यह व्यवस्था की गई है कि कृषक ऋण लेकर बैल जोड़ी खरीदें और पड़त जमीन को कृषि के अन्तर्गत लाकर उत्पादन बढावें। बैल जोड़ी के लिये कृषकों को ऋण देने के लिये इस वर्ष २,४५,९३० की धनराशि उपलब्ध की गई है।

चक बन्दी (Consolidation of Holdings) —

जमीन के छोटे-छोटे और बिखरे हुए भागों में विभाजित होने के कारण किसानों को ऐसे खेतों की व्यवस्था करने में अधिक परिश्रम उठाना पड़ता है। इसका उपाय कर पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से चकबन्दी का श्रीगणेश मुंगावली के तीन गांवों में किया गया है। इसके लिये एक पृथक् विधान भी बनाया जा रहा है।

भूमि उपनिवेश (Colonisation)

मध्यभारत के कई जिलों में विस्तृत कृषि योग्य भू-खण्ड उपनिवेश के लिए उपलब्ध है। जमींदारी समाप्ति के पश्चात् इन भू-खण्डों में वृद्धि हुई है। इन्हें किसानों एवं अन्य व्यक्तियों में बांटने तथा कृषि उपयोग में लाने के हेतु "लेण्ड यूटिलाईजेशन विधान" और "रैयतवारी लेण्ड रेवेन्यू एवं टेनेन्सी विधान" के आधीन नियम बनाये गये हैं ताकि आसानी से इनका वितरण हो सके। बसनेवाले व्यक्तियों को और विशेषतः सेवामुक्त सैनिकों को कई सुविधाएँ दी गई हैं। निमाड़ जिले के भूमिहीन मजदूरों एवं भीलों को निमनपुर क्षेत्र में बसाने के लिये एक पृथक् योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत लगभग ६०० कुटुम्ब वहां बसाये जा चुके हैं।

सेवा निवृत्त सैनिकों की ३ सहकारी समितियां अभी तक बन चुकी हैं। इनके द्वारा लगभग ५०० एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई है।

भूमि क्षरण से संरक्षण—

देश के अन्य भागों की तरह, मध्यभारत के कई भागों में भी भूमि का तीव्र गति से क्षरण (Erosion) हो रहा है–अर्थात् वह कटती-छटती जा रही है। इससे न केवल काश्त की भूमि का क्षेत्र घट रहा है, वरन् उसकी उत्पादक शक्ति भी धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। भूमि-क्षरण की इस गम्भीर समस्या का निराकरण करने के लिये राज्य में ६ भू-रक्षण यूनिट स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें से दो आदिवासी क्षेत्र में रहेंगे। मध्यभारत के भिण्ड, मुरेना जिलों में चम्बल, सांक, आसन व पार्वती नदियों के आसपास सैकड़ों वर्ग मील भूमि कटकर टीलों और बीहड़ों में परिणित हो गई है। यह भूमि समतल बनाई जाकर व्यापक रूप से कृषि योग्य किस प्रकार बनाई जावे, इस सम्बन्ध में प्रयोगात्मक कार्यवाही की जा रही है। हाल ही मेसर्स वालकर्ट ब्रदर्स की सहायता से नूराबाद के निकट मिट्टी के टीलों को बारूद की सहायता से उड़ाने व शक्तिशाली ट्रेक्टरों-बुलडोजरों से भूमि समतल करने के प्रयोग किये गये हैं। इस प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निश्चय किया जायगा।

विस्तृत कृषि के अन्तर्गत अभी तक किये गये कार्य का सिंहावलोकन—

मध्यभारत बनने के पश्चात् अभी तक कांस उन्मूलन तथा विस्तृत कृषि के अन्तर्गत निम्न प्रकार से कार्य हुआ है।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के ट्रेक्टरों द्वारा किया गया कांस उन्मूलन का कार्य :—

सन् १९४८—४९	४१८२	एकड़.
सन् १९४९—५०	११६०३	"

सन् १९५०—५१	.. .. ..	३९१८२	एकड़
सन् १९५१—५२	.. .. ..	३८२८३	,,
सन् १९५२—५३	(फरवरी अन्त तक)	४५०००	,,

कृषि विभाग के ट्रेक्टरों के द्वारा कृषि के अन्तर्गत लाई गई भूमि—

सन् १९५०—५१	.. .. ..	१३३४४	एकड़.
सन् १९५१—५२	.. .. ..	६६१९	,,
सन् १९५२—५३	(फरवरी अन्त तक)	६०००	,,

गत वर्ष के अन्त तक किसानों के द्वारा बैलों की सहायता से ४,८७,३६० एकड़ पड़त भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई, ३७५० एकड़ भूमि में लेण्ड रिक्लेमेशन विभाग के ट्रेक्टरों द्वारा अनुसरण कार्य (Follow up Cultivation) किया गया। साथ ही पार बांधने, भूमि का कटाव रोकने, आधा शीशी उन्मूलन करने आदि कार्यों को प्रोत्साहन देकर अधिक से अधिक जमीन कृषि के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया गया। पड़त तथा बेकार भूमि के विस्तृत क्षेत्रों को भी यांत्रिक कृषि के द्वारा कृषि योग्य बनाया गया। इस समय कृषि विभाग के पास २६ बड़े और ४ छोटे ट्रेक्टर तथा लेन्ड रिक्लेमेशन विभाग के पास ११ ट्रेक्टर हैं। किसानों एवं अन्य व्यक्ति के पास भी लगभग २०० ट्रेक्टर हैं। विस्तृत कृषि के हेतु विभिन्न कार्यों के लिये किसानों को निम्न-लिखित धनराशि तकावी के रूप में केवल ४ प्रतिशत ब्याज पर स्वीकृत की गई :—

	सन् ४९-५०.	सन् ५०-५१.	सन् ५१-५२.	सन ५२-५३. जनवरी ५३ के अन्त तक.
ट्रेक्टर तकावी	६०,६००	३००,२८७	४०९,१८२	१८५,०००
बैल तकावी ..	६१७,३६८	३३४,७८३	९७,१४३	२४५,९३०

बांध बंधिया ..	१५,३७५	१२३,८५०	३९,८०५	२००,२७५
यांत्रिक खेती ..	..	..	१२०,०००	३०,०००

गहन कृषि

सिंचाई की छोटी योजना—

नवीन कुवों के निर्माण तथा पुराने कुवों की मरम्मत कर और पम्प लगाकर गहन कृषि से उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन योजना का मुख्य अंग है। योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कृषकों द्वारा लगभग ५,००० नये कुवों का निर्माण एवं पुराने कुवों की दुरुस्ती का कार्य हाथ में लिया गया है। इनमें से लगभग २,००० कुवों का कार्य केवल राजपुर तेहसील में, वहां की अभावग्रस्त स्थिति को देखकर किया जा रहा है। कुवों के निर्माण एवं दुरुस्ती के हेतु इस वर्ष अभी तक रु. २४,४३,८०० का तकावी ऋण वितरण किया गया है। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिये ५०० पम्प लगाने हेतु रु. ९,४५,००० का तकावी ऋण दिया गया है। रंहट लगाने का भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसके लिये रु. १,२७,८५० किसानों को ऋण के रूप में वितरण किए गये हैं।

पिछले तीन चार वर्षों में राज्य में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये ११७४१ नये कुवों का निर्माण और पुराने कुवों की मरम्मत की गई, १०१७ पम्प लगाये गये तथा २५ रंहट (Persion Wheel) स्थापित किये गये। सिंचाई के क्षेत्र को अधिक बढ़ाने के लिये शासन विशेष रूप से प्रयत्नशील है तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी सहायता प्राप्त की जा रही है। विभाग के प्रयत्नों से इस वर्ष भारत सरकार ने सिंचाई की छोटी २ योजनाओं के लिये १२।। लाख रुपया ऋण के रूप में और ५ लाख रुपया सहायता के रूप में देना स्वीकार किया है। आगामी ३ वर्षों में केन्द्र से १३८ लाख रु.

की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त होने का आश्वासन दिया गया है।

खाद एवं रसायनिक खाद का वितरण.—

खाद एवं रसायनिक खाद के प्रयोग से किसानों को उनकी पैदावार बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिये इस वर्ष १७३ टन अमोनियम सल्फेट, १३८ टन सुपर फास्फेट, ४०९ टन रसायनिक खाद मिश्रण तथा ३६७ टन खली की खाद वितरित की गई। अमोनियम सल्फेट को छोड़ बाकी खादों के वितरण पर २५ प्रतिशत शासकीय सहायता (Subsidy) स्वीकृत की गई तथा इनका प्रयोग १२६६६ एकड़ भूमि में किया गया। इस प्रकार ३५२ टन हरी खाद (सन बीज) ९८५५ एकड़ भूमि में ५० प्रतिशत सहायता (Subsidy) के आधार पर वितरित की गई।

नगरपालिका का मिलवां खाद तथा ग्राम्य खाद.—

नगरपालिकाओं के मिलवां खाद का अभी तक उचित प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। शासन की यह योजना है कि १०,००० अथवा उससे अधिक जनसंख्या के नगरों की नगरपालिकाएँ अपने नगर का कूड़ा कचरा तथा मैला उचित प्रणाली में मिलाकर खाद बनावें। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार खाद बनानेवाली नगरपालिकाओं को आवश्यक ऋण तथा कृपकों को यातायात व्यय की पूर्ति करने के लिये सहायता (Subsidy) देने की व्यवस्था की गई है।

नगरपालिकाओं द्वारा इस वर्ष ५५,००० टन खाद तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से ४५,००० टन खाद तैयार हो चुका है। आशा है वर्ष के अन्त तक लगभग ७५,००० टन खाद तैयार हो जावेगा। सन् १९५०-५१ तथा ५१-५२ में क्रमशः ५०८३३ तथा ७८,९२८ टन कम्पोस्ट खाद तैयार हुआ था।

इस वर्ष ५६७० एकड़ भूमि : उपयोग क लिये १७,००० टन नगरपालिका वा मिलवां खाद सरकारी ट्रकों द्वारा तथा ३३,३३०.एकड़ भूमि के लिये १,००,००० टन ग्राम्य खाद कृषकों को वितरित किया गया।

पहले नगरों के गन्दे पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता था। अव ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, भेलसा, शिवपुरी आदि नगरों में जहां ड्रनेज प्रणाली की व्यवस्था है, गन्दे पानी का कृषि का उत्पादन बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। गन्दे पानी (Sewage water) से खाद और सिंचाई, दोनों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। उपर्युक्त नगरों में सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई गन्दे पानी के द्वारा की जा रही है।

सुधरे हुए बीजों का वितरण.—

खाद एवं रसायनिक खाद के उपयोग के साथ ही, पैदावार बढ़ाने के लिये सुधरे हुए बीजों का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। इस वर्ष गेहूं, ज्वार, चना व चांवल के १०२५ टन सुधरे हुए बीज का वितरण किया गया जिसका प्रयोग ६८,५५२ एकड़ जमीन में किया गया। २१४ टन आलू का सुधरा हुआ बीज तकावी पर ७५० एकड़ भूमि में प्रयोग किये जाने के हेतु दिया गया।

मध्यभारत बनने के बाद अभी तक गहन कृषि के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के हेतु शासन के द्वारा किसानों को निम्न धनराशियां तकावी के रूप में स्वीकृत की गईं:—

	१९४९–५०.	१९५०–५१.	१९५१–५२.	१९५२–५३.
निवाण ..	७,०८,०३५	१४,६३,१९३	१२,२४,१२५	२४,४३,८००
पम्प ...	४,१७,२१७	८,३२,८५०	५,००,८००	९,४४,९००



टिड्डी नाशक द्रव
छिड़का जा
रहा है

फसल के शत्रुओं का नाश

आधासीसी उन्मूलन–





मत्स्य शिशुओं का चयन
तथा वर्गीकरण

मत्स्योद्योग का विकास



मत्स्य-विकास के लिए
उत्तम मछलियों की
छटनी

बीज	३,४६,७३९	४,६१,१०१	८,९६,२५०
खाद	१०,२६,८८२	५,८६,८८०	३,४२,४००
आलू का बीज. ..	२,६४,८१०	८१,१५८	१,८०,०००

पौध-संरक्षण कार्य.—

अधिक अन्न उत्पादन की किसी भी योजना के सफल होने में फसलों तथा खाद्यान्नों आदि की, विभिन्न रोगों के कीटाणुओं से बचाव व रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्य के लिये राज्य में चार पौध-संरक्षण केन्द्र डबरा, गुना, महू एवं रतलाम में स्थापित किये गए हैं। जहां कीटाणु नाशक दवाइयां, औजार आदि का पर्याप्त संग्रह सदैव रखा जाता है। परिवहन के लिए प्रत्येक केन्द्र को जीप गाड़ियां भी दी गई हैं ताकि फसल की रक्षा व बचाव के उपाय यथासमय किए जा सकें। इस वर्ष पौध संरक्षण यूनिटों ने २३९४ एकड़ भूमि पर अनाज की फसलों, ५४४ एकड़ भूमि की साग सब्जी की फसलों तथा ८६०१ फल के वृक्षों पर रोग के कीटाणुओं को नष्ट करनेवाली दवाइयों का प्रयोग किया। ५१९ मन ज्वार के बीज व ५०७५ मन आलू के बीज पर भी दवाइयों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त २८,४४,५४५ मन संग्रहित अनाज ११,३१,३९८ घनफीट रिक्त स्थान तथा ५,११,६८४ अनाज भरने के बारदानों पर कीटाणु नाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। साथ ही कृषि विभाग के तथा कृषकों के निजी बीज गोदामों पर दवाइयों का प्रयोग किया जाकर बीज को नष्ट होने से बचाया गया। आगामी वर्ष १९५३-५४ में पौध संरक्षण का एक और यूनिट बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

टिड्डी नाशक दल.—

गत तीन चार वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी राज्य के विभिन्न जिलों में टिड्डी दलों के कई आक्रमण हुए। विशेषत: मन्दसौर, रतलाम, धार,

इन्दौर तथा गुना जिलों में १९ स्थानों पर इनके तीव्र आक्रमण हुए, किन्तु टिड्डीनाशक दलों की तत्परता एवं कार्यनिपुणता के कारण फसलों को हानि नहीं हुई। कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कर्मचारियों तथा किसानों ने भी टिड्डियों को नष्ट करने व आक्रमण विफल करने में सक्रिय सहयोग दिया।

फसल प्रतियोगिता.—

फसल की उपज बढाने की दृष्टि से मध्यभारत में इस वर्ष से फसल प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ की गई हैं। यद्यपि कृषकों में इसका यथोचित प्रचार नहीं हुआ तो भी ज्वार फसल प्रतियोगिता में १२८१४ कृषकों ने और चांवल प्रतियोगिता में ७१७ कृषकों ने भाग लिया। गेहूं की फसल प्रतियोगिता में कितने किसानों ने भाग लिया इसकी जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। साथ ही वैज्ञानिक ढंग से फसलों की उपज की जानकारी प्राप्त करने के हेतु केन्द्रीय कृषि अनुसन्धान कौन्सिल के तत्त्वावधान में गत दो-तीन वर्षों से राज्य में फसल काटने के प्रयोग (Crop cutting experiments) भी प्रारम्भ किए गए हैं।

गहन कृषि क्षेत्र योजनाएँ.—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये गत वर्ष ५१-५२ में हरसी, राजपुर तथा भेलसा क्षेत्रों में तीन गहन कृषि क्षेत्र आरम्भ किये गये थे। इनमें से हरसी तथा राजपुर के क्षेत्र "भारत अमरीकी टेक्नीकल समझौते" के अन्तर्गत वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में सामुदायिक विकास योजनाओं (Community Projcets) के रूप में परिणित कर दिये गये हैं। पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष केवल भेलसा का गहन-कृषि क्षेत्र कार्य कर रहा है। आगामी वर्ष ५३-५४ में एक और क्षेत्र स्थापित किए जाने की योजना है।

भेलसा विकास क्षेत्र —

भेलसा में जनता का सहयोग प्राप्त किया जाकर उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष यहां १० प्रौढ़-शिक्षा पाठशालाएँ खोली गईं, २८ सोकेज पिट्स बनाये गये तथा ९ पीने के पानी के कुवों को ठीक करवाया गया। देहाती जनता में स्वयं सेवा तथा परिश्रम करने की भावना जागृत करने का इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। गत ३० नवम्बर १९५२ को भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहरलालजी ने इस क्षेत्र में लगभग ५ मील लम्बी एक सड़क (लश्करपुर रोड) के निर्माण का उद्घाटन किया, जिसे स्थानीय जनता अपने निजी परिश्रम से बना रही है।

विस्तार सेवा संगठन.—

शासन अधिक से अधिक जमीन कृषि के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न कर रहा है, किन्तु इसकी एक सीमा है। साथ ही यह विस्तृत कृषि प्रणाली खर्चीली भी अधिक है। अतएव जमीन की पैदावार बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कृषि अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप, उत्पादन बढ़ाने के नये तरीकों की खोज की गई है। किन्तु आवश्यकता यह है कि इन नये तरीकों को खेतों पर काम करनेवाले किसानों तक पहुंचाया जाय। किसान ही कृषि विकास का सक्रिय वाहक है। यांत्रिक कृषि, रसायनिक खाद व अच्छे बीजों का प्रयोग, सिचाई के आधुनिक साधन तथा वैधानिक उपायों के द्वारा पौधे के संरक्षण का ज्ञान किसानों तक पहुंचाने के लिये शासन ने एक विस्तार सेवा (Extension Service) का संगठन किया है जिसका संचालन एक संचालक (Extension-Director) के आधीन रखा गया है। इस योजना का मुख्य ध्येय,

दर्शन व श्रवण के माध्यम के द्वारा तथा किसानों के खेतों पर वैज्ञानिक उपायों का प्रदर्शन करके अनुसन्धानों का परिणाम दिखाना है। योजना के अन्तर्गत चलती-फिरती मोटरों के द्वारा तथा फिल्म प्रदर्शन, नक्शे, अजायबघर, मेजिक लेन्टर्न आदि के द्वारा कृषि सम्बन्धी ज्ञान किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

पशुचिकित्सा तथा पशु-सुधार विभाग

किसी भी प्रदेश के लिये जिसका मुख्य उद्योग कृषि है, वहां के पशुओं की रक्षा तथा उनके पालन व सुधार की सुव्यवस्थित प्रणाली की स्थापना अत्यन्त महत्व रखती है। पशुओं से जिनमें गाय, बैल मुख्य हैं—न केवल मनुष्यों के मुख्य पोषक आहार के पदार्थ मिलते हैं, वरन् हमारे राज्य का सारा कृषि-तंत्र बैलों की शक्ति तथा उनकी सेवा पर टिका हुआ है। आधुनिक युग में ट्रेक्टर आदि कई यंत्र खेती के उपयोग में लिये जाने लगे हैं। किन्तु हमारे प्रान्त के किसानों का मुख्य सहारा बैलों की शक्ति ही है। पशुओं से प्रत्यक्ष सहायता के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी गोबर, पेशाब, हड्डी आदि के द्वारा खाद के रूप में जमीन की उत्पादन शक्ति बढ़ाने में सहायता मिलती है जबकि उनका चमड़ा औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है।

मध्यभारत में पशुओं की संख्या ९५,८८,६२४ है जो देश के पशुओं की संख्या का १।२० भाग है। यद्यपि पशुओं की उपयोगिता के बारे में आकड़ों में हिसाब लगाना कठिन है फिर भी मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाय तो विदित होगा कि हमारे यहां के पशुओं में से केवल गाय, बैल ही प्रान्त के निवासियों की फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ियों में ले जाने में लगभग ८ करोड़, खेतों को जोतकर कृषि योग्य बनाने में लगभग १५ से २० करोड़, दूध के द्वारा ३७।। करोड़ तथा खाद के रूप में लगभग ५० करोड़ रु. प्रति वर्ष के मूल्य की सेवा करते हैं।

प्रान्त के पशुओं का कृषि के विकास के साथ तथा कृषकों के जीवन के साथ इतना घनिष्टतम सम्बन्ध होने से पशुओं की रक्षा तथा उनका विकास आज एक राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है। अधिक अन्न

उत्पादन की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें पशुओं की विभिन्न रोगों से रक्षा तथा उनके पालन और सुधार की समुचित व्यवस्था नहीं की गई हो। इसी उद्देश्य से भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना में पशुओं की नस्ल के सुधार एवं रोगों से उनकी रक्षा करने पर अधिक जोर दिया गया है।

विभागीय नीति तथा उद्देश्य.—

मध्यभारत पशु-चिकित्सा तथा पशु-सुधार विभाग की नीति भी इसी प्रकार की है। यहां पूर्व में पशुओं के रोग से पीड़ित हो जाने पर उनकी चिकित्सा करने पर ही अधिक जोर दिया गया था। किन्तु शासन की अब यह नीति है कि पशु चिकित्सा के साथ ही पशु-पालन व पशु-सुधार की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

पशु चिकित्सा तथा पशु सुधार की मुख्य कार्य प्रवृत्तियों के अतिरिक्त, गौशालाओं की प्रवृत्तियों को अधिक उपयोगी बनाना, निरुपयोगी पशुओं को शिविरों में एकत्रित कर उनके चमड़े, हड्डी आदि का समुचित उपयोग करना तथा अन्न की कमी की पूर्त्ति करने के लिए मत्स्य-उद्योग को प्रोत्साहन देना शासन की मान्य नीति है। मछुओं की आर्थिक दशा सुधारने क हेतु उनकी सहकारी समितियां बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा ह।

पंचवर्षीय योजना में अन्य प्रवृत्तियों के साथ-साथ औषधियों के निर्माण के हेतु अनुसंधानशाला के पुनर्गठन करने तथा पशुओं की नस्ल सुधारने के हेतु मुख्य ग्राम केन्द्र (Key Village Centres) संचालित करने की व्यवस्था की गई है।

विभाग का सँचालन. —

मध्यभारत बनने के पूर्व अधिकांश रियासतों में पशु-चिकित्सा तथा पशु-पालन के लिये पृथक् विभाग की व्यवस्था नहीं थी। मध्यभारत बनने के बाद एक पृथक् विभाग स्थापित किया जाकर उसे एक संचालक के अधीन रखा गया है। पशुचिकित्सा का एकीकरण (Integration) शासन के द्वारा स्वीकृत हो चुका है था विभाग के विभिन्न अधिकारियों की श्रेणियां, संख्या तथा वेतन-श्रेणियां निर्धारित होगई हैं।

पशु-चिकित्सा तथा पशु-रक्षा

पशु-चिकित्सा —

एग्रीकल्चरल रायल कमीशन (Agricultural Royal Commission) की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक २५,००० पशुओं की चिकित्सा तथा रोगों से उनकी रक्षा के हेतु एक पशु चिकित्सालय होना चाहिये। मध्यभारत की पशु संख्या सन् १९५०-५१ की पशु-गणना के अनुसार ९५,८८,६२४ होने के कारण उक्त सिफारिश के अनुसार यहां लगभग ४०० पशु चिकित्सालय होने चाहिये। मध्यभारत में ३ 'अ' श्रेणी, १८ 'ब' श्रेणी तथा १२८ 'स' श्रेणी इस प्रकार कुल १४९ चिकित्सालय हैं, जो जिला, तहसील, टप्पा तथा कुछ केन्द्र पंचायतों के स्थानों पर स्थित हैं। पंच-वर्षीय योजना में प्रति वर्ष ५ दवाखाने खोलने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष ५ नये दवाखाने खोले गये हैं। तथा मध्यभारत में जानवरों के दवाखानों की कुल संख्या अब १५४ है। विभाग के हाल ही स्वीकृत किये गये एकीकरण के अनुसार, प्रत्येक जिले के स्थान पर, एक पशु-चिकित्सालय तथा ग्वालियर, इन्दौर व उज्जैन में एक अतिरिक्त चिकित्सालय प्रत्येक, तहसील स्थान पर एक चिकित्सालय तथा १०० स्थानों

पर—यथासंभव केन्द्र पंचायतों के स्थान पर एक प्राथमिक उपचार केन्द्र (First Aid Post) रखने की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान आर्थिक वर्ष में इन चिकित्सालयों के द्वारा १६१,६२७ पशुओं के रोगों की चिकित्सा की गई, ३७८७ ऑपरेशन (Operations) किये गये तथा १४५०८ बैल बधिया किये गये। पशुओं को माता, गलाघोंटू, फड सूजन, चक्कर आदि विभिन्न रोगों के उपचार के हेतु लगाये गये टीकों का विवरण निम्न-प्रकार है:—

जी. टी. व्ही ..	५४६३३
एच. एम. व्ही. ..	२३५६५४
एच. एस. एस. ..	२८४
आर. पी. एम. ..	२२१२८
जी. क्यू. व्ही. ..	५११७
अन्य	१००००

चलते-फिरते पशु-चिकित्सालय.—

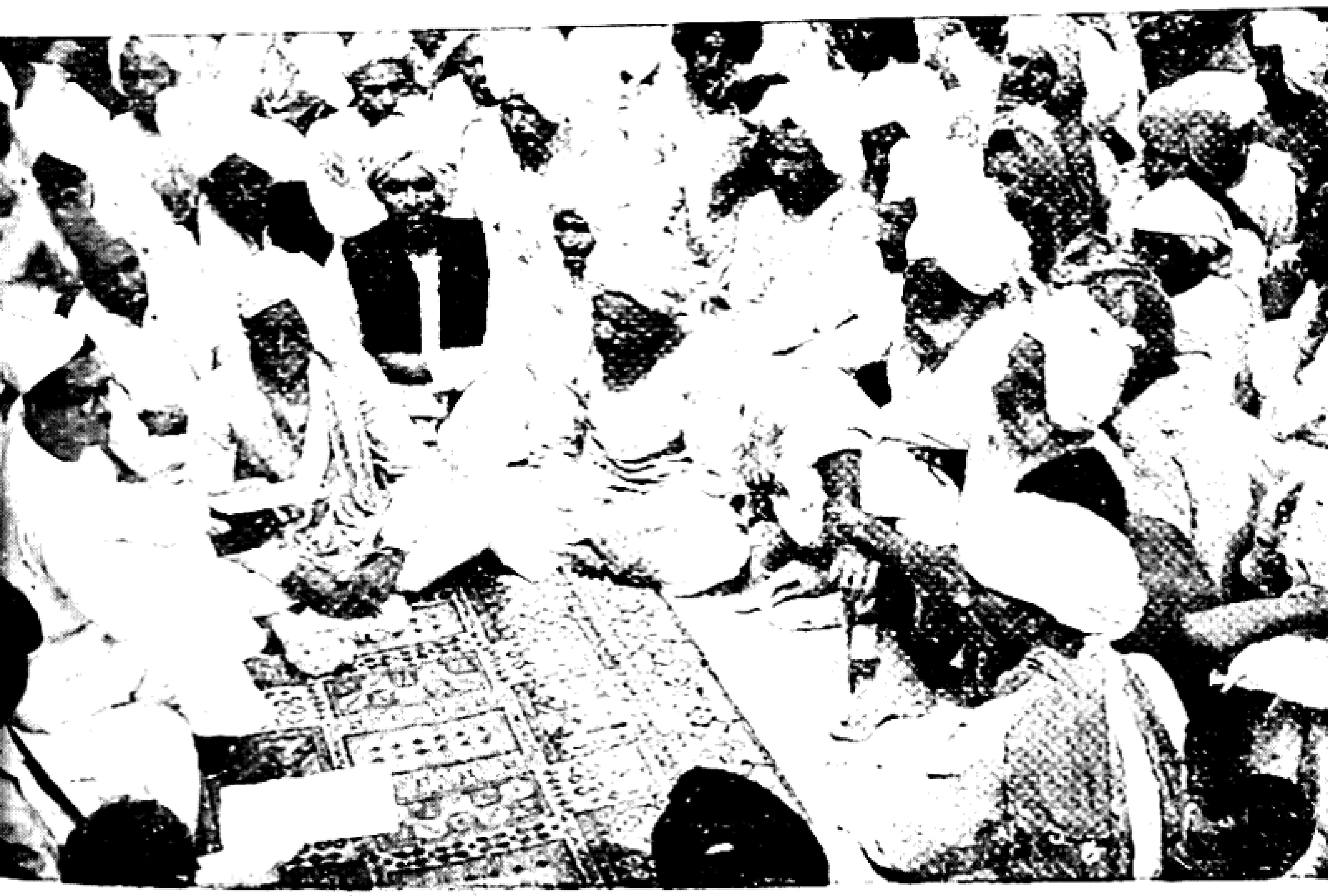
ग्वालियर, इन्दौर तथा बड़वानी में तीन चलते-फिरते दवाखाने (Mobile Unit Dispensaries) स्थापित किये गये हैं, जिनके द्वारा आसपास के गांवों में जहां दवाखाने नहीं हैं पशुचिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इन दवाखानों के द्वारा पशुओं की बीमारियों से रक्षा करने के लिए गांवों में जाकर टीके (Preventive Inoculations) लगाये जाते हैं तथा मेले एवं पशु-प्रदर्शनियों में प्रचार एवं प्रदर्शन के द्वारा रोगों के उपचार के साथ ही पशु-चिकित्सा तथा पशु-पालन का सामान्य ज्ञान ग्रामीण जनता में प्रसारित किया जाता है। पशुओं में फैलनेवाली संक्रामक बीमारियों की सूचना पाते ही इन चिकित्सालयों को



सुधरी हुई नस्ल के बैल

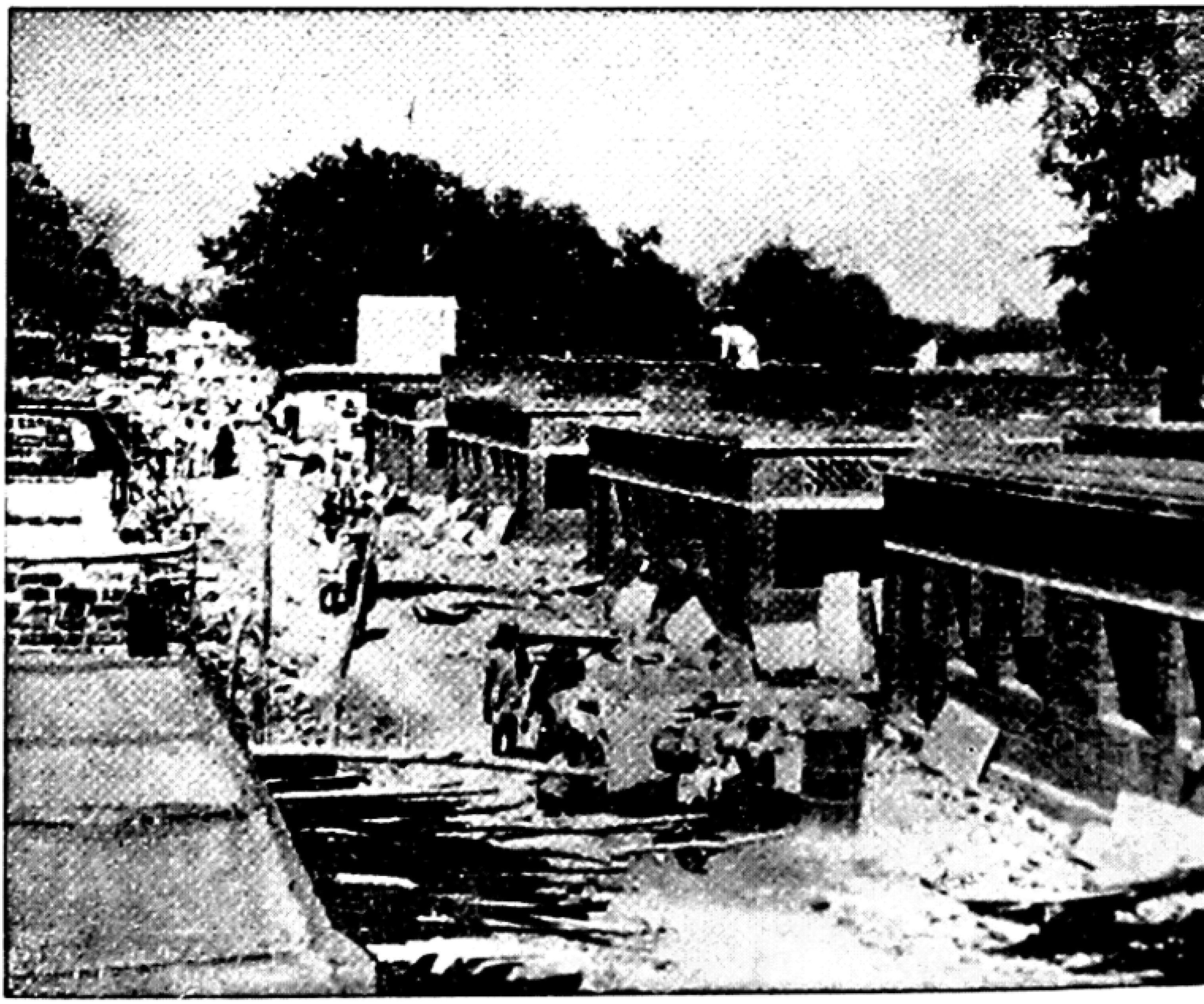
पशु सुधार

मैनपुरी पशु-प्रदर्शनी में किसानों की सभा





ग्राम-सेवक विद्यालय, आगर



ग्वालियर में श्रमिकों के निवास के लिए नये मकान

द्वारा रोग फैलने के स्थान पर जाकर तत्काल ही रोग नष्ट करने के हेतु आवश्यक प्रबन्ध किया जाता है। वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में इन दवाखानों के द्वारा २१,२५२ टीके (जी. टी. व्ही. तथा एच. एस. व्ही.) लगाये गये, ४०८५ रोगों का उपचार किया गया, २७९ बैल बधिया किये गये तथा १३० दिन का दौरा किया गया।

पशु-रोग तथा उनके निरोध के उपाय

पशु-रक्षा.—

पशुओं में फैलनेवाले संक्रामक रोगों का नियंत्रण तथा उनका निरोध पशु विभाग का मुख्य कर्त्तव्य है। यह रोग अत्यन्त भयंकर होते हैं तथा उचित समय पर नियंत्रण न किया जाने पर सहस्त्रों की संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इन संक्रामक तथा संसर्गजन्य रोगों के निरोध के लिये टीके की दवाइयां (Vaccine) तैयार करने के हेतु मध्यभारत में तीन वर्ष पूर्व एक अनुसंधान-शाला (Vaccine and Research Institute) स्थापित की गई थी। टीके की जो दवाइयां पहले अधिक मूल्य पर प्रान्त के बाहर से मंगवानी पड़ती थीं, वे अब इस अनुसंधान-शाला में तैयार की जाती हैं तथा पशु-चिकित्सालयों और चलते-फिरते दवाखानों के द्वारा भिन्न भिन्न गांवों में पशु-रोगों के नियंत्रण के हेतु उपयोग में ली जाती हैं। अनुसंधान-शाला के द्वारा नये रोगों के उपचार के सम्बन्ध में अन्वेषण-कार्य किया जाता है।

वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में, इस अनुसंधान-शाला में ८७६२०० जी. टी. व्ही., ६,०८,६५० एच. एस. व्ही., २१८९२ एच. एस. एस., १९६१६ बी. क्यू. एस., ३१,९१६ आर. पी. एस. तथा १७२६ एन्थेक्स सीरम के टीके तैयार किये गये।

अनुसंधानशाला का पुनर्गठन.—

प्राणी-शास्त्र सम्बन्धी अन्वेषण अस्पष्ट रोगों का अध्ययन तथा संसर्गजन्य और संक्रामक रोगों के लक्षणों का निर्धारण आदि करने के हेतु इस अनुसंधानशाला के कार्यक्षेत्र का अधिक विस्तार करने के लिये पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष ५३-५४ में इस अनुसंधान-शाला की योजना के संचालन के हेतु २३३,३१० तथा इसके लिये उपयुक्त भवन निर्माण के हेतु २५०,००० की धनराशि निर्धारित की गई है।

प्रशिक्षण —

शालिहोत्रियों को पशुचिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के हेतु शिवपुरी में एक पशु चिकित्सालय प्रशिक्षण विद्यालय (veterinary Training School) पिछले चार वर्षों से कार्य कर रहा है जिसमें ४० विद्यार्थियों के शिक्षण की अवधि एक वर्ष की है। विद्यार्थियों को रु.४० प्रतिमाह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है।

पशु-सुधार

हमारे प्रान्त में के पशुओं का ठीक ठीक उपयोग करने तथा कृषि उत्पादन आदि को बढ़ाने के लिये पशुओं की नस्ल सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। भूमि, पशु तथा मनुष्य इन तीनों का विकास एक दूसरे के विकास पर आश्रित है। इसलिये ऐसी कोई भी योजना जो इन तीनों में से केवल एक अथवा दो के सुधार का ही लक्ष्य रखती है, आवश्यक परिणाम प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सकती। असावधानी तथा

अव्यवस्था से उत्पन्न हुए पशुओं की नस्लें बिगड़ती जाती हैं तथा इस प्रकार धीरे-धीरे पशु-शक्ति (Cattle power) दुर्बल तथा क्षीण होती जाती है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पशुओं के विभिन्न केन्द्रों पर अच्छी जाति के सांड़ों को रखकर आसपास के गांवों के पशुओं की नस्ल सुधारने की व्यवस्था की गई है। योजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा भी पशुओं की नस्ल सुधारने की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

गोर्मी ढवला हर्दु, तथा भवती निवाली के तीन मुख्य केन्द्र —

मध्यभारत में हरियाना, मालवी तथा निमाड़ी इन तीन जातियों की नस्लें उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन तीनों जातियों के पशुओं की अच्छी नस्ल को कायम रखने के लिये गोरमी, जिला भिण्ड, ढवला-हर्दु, जिला उज्जैन, तथा भवती-निवाली, जिला निमाड़ में तीन केन्द्र पूर्व से चलाये जारहे हैं, जिन्हें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक केन्द्र पर क्रमशः हरियाना, मालवी तथा निमाड़ी जाति के बीस-बीस अच्छी नस्ल के सांड़ आसपास के गांवों के पशुओं की नस्ल सुधारने के हेतु रखे गये हैं। इन सांड़ों के द्वारा जो बछड़े होंगे, बड़े होने पर उनसे आसपास के गांवों में नस्ल सुधारन के हेतु सेवा ली जायगी। इन मुख्य केन्द्रों पर केवल प्राकृतिक रीति से ही पशुओं की उत्पत्ति होती है। गोरमी केन्द्र के अन्तर्गत आसपास के २५ गांव, ढबला हर्दु केन्द्र के अन्तर्गत २९ गांव तथा भवती-निवाली केन्द्र के अन्तर्गत १६ गांव हैं। वर्तमान आर्थिक वर्ष में इन केन्द्रों पर ७६४ गायों को गर्भाधान किया गया, ४७४ बैल बधिया किये गये, ६१ पशुओं की चिकित्सा की गई तथा १०,३०० टीके लगाये गये। मध्य-भारत में पशु जनन के चार और केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

मुरेना, आगर तथा सिमरोल के पशु जनन केन्द्र.—

हरियाना तथा मालवी जाति के अच्छी नस्ल के पशुओं की उत्पत्ति के लिये मुरेना, आगर तथा सिमरोल में तीन केन्द्र (Key Farm Centres) चलाये जा रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र पर ४ सांड़ रखे गये हैं जिनसे प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से सेवाएं ली जाती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली से एक सांड़ की सेवाएं प्राकृतिक गर्भाधान की अपेक्षा १० गुना अधिक रूप में प्राप्त की जा सकती हैं। मध्यभारत में किसानों की धार्मिक भावना तथा अशिक्षा, कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली के व्यापक प्रसार तथा प्रयोग में बाधक हो रही है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र शीघ्र ही खोले जारहे हैं जिसके व्यय का ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय शासन के द्वारा वहन किया जायगा।

सिमरोल तथा आगर में दो फार्म (Cattle Breeding Farms) चल रहे है, जिनका पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुनर्गठन किया गया है। इन केन्द्रों पर मालवी नस्ल के सांड़ तथा गायें रखी गई हैं। प्रत्येक केन्द्र के लिये २५ गाय तथा २ सांड़ और क्रय किये गये हैं, तथा वर्त्तमान में दोनों केन्द्रों पर पशुओं की संख्या क्रमशः ११० तथा ८० है। इन केन्द्रों के सांड़ों के द्वारा आसपास के गांवों के पशुओं की नस्ल सुधारी जाती है। एक ही मालवी नस्ल के लिये यह दो केन्द्र रखने के बजाय उन का आगर में पुनर्गठित रूप में एकीकरण कर, सिमरोल में सहकारी आधार पर दुग्धशाला (Co-operative Dairy) स्थापित करने का विभाग का प्रस्ताव है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निमाड़ी तथा हरियाना जाति के सांड़ों की नस्ल सुधारने के हेतु दो पशुपालन केन्द्र (Bull Rearing Farms)

खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इन सब केन्द्रों के द्वारा अच्छी नस्ल के जो बछड़े पैदा होंगे, उनका, प्रौढ़ (सांड़) होने पर चुने हुए ग्राम केन्द्रों (Key Village Centres) में नस्ल सुधारने के हेतु उपयोग किया जायगा।

गोशाला विकास योजना.—

मध्यभारत में वर्त्तमान में ४० गौशालाएं हैं, किन्तु अधिकांश गौशालाओं के पशुओं की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं। गौशालाओं के पुनरुद्धार के हेतु एक योजना बनाई गई है जिसके द्वारा गौशाला संघ की सदस्य गौशालाओं को एक सांड़ खरीदने के हेतु रु. ४०० तक की आर्थिक सहायता तथा व्यवस्थापक रखने के हेतु ५० रुपये मासिक तक (वेतन की आधी रकम) की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में १० गौशालाओं को सांड़ खरीद कर दिये गये तथा ८ गौशालाओं को व्यवस्थापक के वेतन की आधी रकम स्वीकृत की गई है।

गोसदन —

गौशालाओं से बेकार तथा निरूपयोगी पशुओं को पृथक् करने के लिये शासन ने शिवपुरी में एक गोसदन (Concentration Camp) स्थापित किया है। इस प्रकार के समस्त निरुपयोगी पशुओं को एक स्थान पर एकत्रित करने से अन्य पशुओं की नस्ल को हानि नहीं पहुंचती, साथ ही इनके चमड़े, हड्डियों आदि का भी अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। शिवपुरी गौसदन में इस समय लगभग १७५ पशु हैं तथा इसका संचालन गौशाला संघ के द्वारा किया जाता है। गौशाला व गौसदन की योजना के कार्य का अब तक का अनुभव देखते हुए उसमें आवश्यक परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

मत्स्य विकास योजना

वज्ञानिकों के अनुसार दूध के बाद मछली ही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें शारीरिक पोषण तथा विकास के तत्व पर्याप्त विद्यमान है। मछली में, जीवन-सत्व 'अ' तथा 'द' (Vitamins A and D) फॉसफोरस तथा चर्बी विशेष रूप से रहने से उसका आहार मनुष्य शरीर को सुदृढ़ रखने तथा रोगों के आक्रमण से मुक्त रखने में सहायक होता है। केवल पौष्टिक तत्वों के कारण ही नहीं, वरन् अन्न की कमी की पूर्ति करने की दृष्टि से भी मछलियों के उत्पादन को वढ़ाना राष्ट्रीय महत्व रखता है। पंचवर्षीय योजना में मत्स्य-उद्योग-विकास को इसीलिये अत्यन्त महत्व दया गया है।

मछलियों का उत्पादन वढ़ाने के हेतु मध्यभारत ने सन १९४९ में एक उप-विभाग स्थापित किया था जो पशु-चिकित्सा तथा पशु-सुधार विभाग के आधीन रखा गया है। मध्यभारत में लगभग ६,६०० मील लम्बी नदियां तथा उनकी प्रशाखाएँ है और १८६५ मील की लम्बाई की नहरें हैं। इनके अतिरिक्त कई हजार एक क्षेत्रफल के वड़े-वड़े बांध जैसे तिगरा, हरसी, चांदपाटा, यशवंत सागर, भागोरा, दिनारा आदि हैं, तथा २,००० से अधिक प्रजा कार्य विभाग के ही छोटे-बड़े तालाब हैं। इन सवसे विस्तीर्ण जलाशय, मालव माता चम्बल नदी के जल से बनाया जाने वाला "गांधी सागर" होगा जिसका निर्माण शीघ्र ही होने जा रहा है। गांधी सागर का क्षेत्रफल १८० वर्ग मील होगा। विभाग की यह योजना है कि इन नदियों नहरों, तालाबों आदि का समुचित उपयोग किया जाकर मछलियों के उत्पादन को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया जाय।

मत्स्य-उत्पादन तथा आय.—

सन १९४९ से अव तक मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के हेतु लगभग ३,२५,००० से अधिक मछलियों के बच्चे एकत्रित किये जाकर २००

एकड़ जल-क्षेत्रों में छोड़े गय। मार्च १९५२ के अन्तर्गत ६०,००० मन मछली पकड़ी जाकर १,७५,००० रु. की आय हुई है। वर्तमान आर्थिक वर्ष में पांच जिलों में मछलियों के नीलाम से ८५,००० . की आमदनी हुई है, तथा अन्य जिलों से इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जारही है।

उत्पादन बढ़ानेवाली मछलियों का संरक्षण.——

मछलियों की उत्पत्ति की ऋतु में उनकी प्राणरक्षा न की जाय तो अंडों भरी मछलियों के नष्ट होने से मत्स्य उत्पादन को भारी क्षति पहुंचती है। इस दृष्टि से कुछ क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ता. १ जुलाई मे १५ सितम्बर तक मछली के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। मत्स्योद्योग को प्रोत्साहन देने तथा साथ ही मछुओं के आर्थिक हितों का संरक्षण करने के हेतु मत्स्योद्योग विधान प्रभावशील किया गया है।

मछली की खेती.——

मध्यभारत में ४० जातियों की मछलियां पाई जाती हैं। इन में से रोहू, त्रियाट, नरेन, कतला तथा माहशिर यह ५ जाति की मछलियां ऐसी हैं जो दूसरों की तुलना में शीघ्र बढ़ने वाली होती है। दो वर्ष में ही प्रत्येक मछली का दो से ढाई सेर तथा अनुकूल वातावरण मिलने पर इससे भी अधिक वजन हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये मछलियां एक दूसरे का शिकार नहीं करती। इन कारणों से यह पांच जातियां, मछली की खेती (पिसी कल्चर) के कार्य के लिये उपयुक्त मानी जाती हैं।

मध्यभारत में मत्स्य-उत्पादन की वृद्धि के हेतु मछली की खेती का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। पांच वर्षों में इन शीघ्र बढ़नेवाली मछलियों के ३२ लाख अंडे एकत्रित किये जाकर ६४० एकड़ या उससे अधिक जल के क्षेत्र में छोड़ने की योजना बनाई गई है। योजना से लगभग १४ लाख रुपयों के मूल्य की मछलियां निकाली जाने का अनुमान लगाया गया है।

मछलियों की खेती में मछुओं की सहकारी समितियां बड़ी सहायता कर सकती है। मत्स्य-उद्योग के विकास के साथ ही कहार आदि पिछड़ी हुई जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा सुधारने के हेतु मछुओं की सहकारी समितियां बनाई जारही हैं।

सामुदायिक विकास योजनाएं

राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद देश का पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्र-निर्माणकारी योजनाओं को हाथ में लेकर जन-साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठानेवाले कार्यों को सम्पन्न कराना है। निर्धनता, अशिक्षा, तथा जन-साधारण के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखनेवाले साधनों का अभाव हमारी अर्थ-तंत्र की जड़ों को हिला रहा है। स्वतंत्र भारत की समस्या इसलिये आज आर्थिक है, और उसका हल यही है कि प्रत्येक नागरिक को सामान्यतः सुखी जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध किये जायं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारत सरकार द्वारा भारत-अमरीकी टेक्नीकल समझौते के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के चुने हुए क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यक्रम बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की ५५ योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें से मध्यभारत में दो योजनाएँ—एक हरसी क्षेत्र तथा दूसरी डबरा क्षेत्र में गांधी जयन्ती, २ अक्टूबर १९५२, से प्रारम्भ की गई है।

देश को कम से कम समय में खाद्यान्नों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनाने के पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति ही विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। अन्न उत्पादन के साथ ही देहाती जनता में फैली हुई अशिक्षा, गरीबी और बीमारियों को दूर कर उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा को उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में नगरों के बजाय ग्रामों के सामूहिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

सामुदायिक विकास योजनाओं के संचालन में शासन मुख्यतः स्थानीय जनता को मार्ग दर्शन करेगा, वास्तविक कार्य जनता के द्वारा ही सम्पन्न होगा। इसीलिए इनमें स्वयंसेवा, सहकारिता तथा परिश्रम

के महत्त्व को अत्यधिक मान्यता दी गई है। शासन यह मानकर चला है कि बड़े से बड़े अधिकारी अथवा उच्च वर्ग के व्यक्ति से लेकर किसान तथा मजदूर तक प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का काम तथा शारीरिक परिश्रम करेगा और इस प्रकार देश की जनशक्ति का अखंड भंडार जमीन तथा उसपर काम करनेवाले किसान की कायापलट कर सकेगा।

हरसी तथा राजपुर योजनाओं में स्थानीय जनता को विचार कर निर्णय करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है कि वे किस कार्य तथा प्रणाली को ठीक समझते हैं। शासन इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कर रहा है तथा करेगा जिससे लोग कृषि के सुधरे हुए तरीकों तथा वैधानिक प्रणाली को स्वेच्छापूर्वक अपनालें। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जनता यह अनुभव करने लगे कि योजना उनके ऊपर थोपी नहीं जा रही है वरन् यह उनकी अपनी चीज है और उनकी भलाई का एक कार्य-क्रम है।

सामूदायिक विकास योजनाओं के कार्यों में आवश्यक समन्वय स्थापित करने तथा नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए एक "राज्य विकास समिति" बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य-मंत्री हैं। विकास समिति को परामर्श तथा सहायता देने के लिए ९ सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई गई है जिसमें ७ विभागों के मुख्याधि-कारी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त योजनाओं तथा उनके अन्तर्गत के क्षेत्र तथा ग्रामों के संचालन से सम्बन्धित विविध विषयों पर परामर्श देने के लिए योजना परामर्श समितियां, क्षेत्र परामर्श समितियां तथा ग्राम परामर्श समितियां स्थापित की जा चुकी हैं।

जनवरी माह के अन्त तक इन योजनाओं का संचालन कृषि उत्पादन कमिश्नर के अधीन था किन्तु अब उनका संचालन डेवलपमेण्ट कमिश्नर

के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक योजना का संचालन एक अधिकारी (Project Executive Officer) के आधीन रखा गया है। संचालन अधिकारी के आधीन लगभग १२५ निरीक्षक तथा प्रशिक्षित ग्राम सेवक रखे गये हैं।

योजनाओं का विवरण.—

हरसी तथा राजपुर की समाज विकास योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न-प्रकार से है :—

	हरसी योजना.	राजपुर योजना.
गांवों की संख्या ..	३१५	३०८.
क्षेत्रफल ..	५४४ वर्ग मील ..	६९९ वर्ग मील.
जनसंख्या ..	१,१८,५४९ ..	१,४८,४२१.
स्थिति तथा विस्तार	घाटीगांव तहसील का एक, पिछोर तहसील के तीन गिर्दावर क्षेत्र.	राजपुर तहसील तथा कसरावद तहसील का एक गिर्दावर क्षेत्र.
साधारण कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र.	१,७०,००० एकड़ ..	२,४६,५३८ एकड़.
सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र.	७०,००० एकड़ ..	९,९१२ एकड़.

मध्यभारत की इन दोनों विकास योजनाओं में प्रत्येक पर कुल ६५,००,००० का व्यय होगा जिसमें से प्रथम वर्ष में ३५ लाख, दूसरे में २६ लाख व तीसरे में ४ लाख रुपये व्यय होंगे। अनावर्त्तक व्यय केन्द्र तथा मध्यभारत द्वारा ३:१ के अनुपात में वहन किया जायगा। आवर्त्तक व्यय प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में क्रमशः २५,५० तथा ६६⅔ प्रतिशत मध्यभारत द्वारा तथा शेष केन्द्रीय शासन द्वारा वहन किया जायगा।

तीन वर्ष के बाद सम्पूर्ण संचालन का भार मध्यभारत पर ही होगा। प्रारम्भ करने के लिये केन्द्रीय शासन ने ६ माह के लिये हरसी योजना के लिये रु. ६,६७,८४६ तथा राजपुर के लिये रु. ७,६३,६७० की धनराशि व्यय के हेतु स्वीकृत की है।

प्रत्येक योजना लगभग पौ सौ गांवों के तीन विकास क्षेत्रों (Blocks) में विभाजित की गई है। प्रत्येक क्षेत्र में एक मण्डी यूनिट होगा जो उस क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त गांवों के आर्थिक, सामाजिक तथा विकास कार्यों का केन्द्र होगा। संक्षेप में योजनाओं की मुख्य कार्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं :—

(१) कृषि तथा तत्सम्बन्धी कार्य.—भूमि को कृषि योग्य बनाना, सिंचाई की सर्वविधि व्यवस्था, उत्तम बीज, खाद, औजार, हाट व्यवस्था, पशु चिकित्सा, सहकारी प्रगति आदि।

(२) यातायात के साधन.—सड़कों तथा यातायात साधन की उचित व्यवस्था।

(३) शैक्षणिक व्यवस्था.—अनिवार्य नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालयों की व्यवस्था।

(४) स्वास्थ्य.—सफाई, चिकित्सा, प्रसूति-गृह आदि की व्यवस्था।

(५) प्रशिक्षण.—कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(६) गृह व्यवस्था.—गांवों तथा शहरों में अल्प व्यय में अच्छे तथा आरामप्रद मकान बनाना।

(७) नियोजन.—ग्रामोद्योग एवं शिल्पों को प्रोत्साहन देना, जिससे बेकारी की समस्या दूर हो।



सामाजिक विकास योजना के अन्तर्गत रचनात्मक कार्य के
लिए तैयार ग्रामसेवक गण



बांदुर ग्राम के लोग स्थानीय कर्मचारियों के साथ सामुदायिक विकास
योजना के अन्तर्गत एक सड़क का निर्माण करते हुए

नए बांध



(८) मामाजिक कल्याण.—जन समुदाय के लिए सांस्कृतिक तथा माध्यमिक उन्नति के साधन जुटाना, उसे स्वावलम्वी वनाना तथा उसके लिये मनोरंजन के साधन जुटाना।

हरसी योजना के डबरा क्षेत्र के १०१ गांवों तथा राजपुर योजना के राजपुर क्षेत्र के १०८ गांवों की स्थिति का प्रारंभिक सर्वे किया जा चुका है तथा इन क्षेत्रों के प्रत्येक गांव की आवश्यकताओं की जांच कर गांव परामर्श समिति के सहयोग से विविध ग्राम विकास प्रवृत्तियों का कार्य किया जा रहा है।

यद्यपि इन सामुदायिक योजनाओं का कार्य आरम्भ हुए अधिक समय नहीं हुआ तथापि कार्य के विविध क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है। गत जनवरी माह तक योजनाओं के राजपुर तथा डबरा क्षेत्र में किसानों को ३०४९ मन सुधरे हुए बीजों का वितरण किया गया तथा उनसे २८२६ मन सुधरे हुए वीज क्रय किये गये। १७१ डिमान्स्ट्रेशन प्लोट्स (Demonstration Plots) भी बनाये गये हैं।

स्थानीय जनता के द्वारा २८६ खाद के गड्ढे खोदे गये, २०५६ फुट लम्बाई के बांध बांधे गये तथा लगभग ७५ एकड़ भूमि के कटाव (भूमि-क्षरण) को रोकने के लिये खेतों में पार बांधी गई। इसके अतिरिक्त ७०७५ मन खाद वितरण किया गया, २६९ गन्दे पानी के गड्ढ़े (Sockage Pits) बनाये गये तथा ४२ डिमान्स्ट्रेशन पिट्स (Demonstration pits) तैयार किये गये हैं। फसल को रोग के कीटाणुओं से बचाने के लिये लगभग ३००० एकड़ भूमि में पौध-संरक्षण कार्य किया गया।

इन क्षेत्रों में मुख्यत: सिंचाई तथा साथ ही पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये २०२१ कुवों का निर्माण आरम्भ किया गया है,

जिनमें से कई कुवों का कार्य सम्पन्न होचुका है। ६० कुवों को साफ कर के उनके पानी को उपयोग के योग्य बनाया गया है। सिंचाई करने के हेतु ६० कुवों पर पम्प लगाये गये हैं। अंजड़ तथा राजपुर में "बोरिंग" का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें ५०० फुट से अधिक गहरी खुदाई हो चुकी है। इस क्षेत्र में एयर कम्प्रेशर्स के दो यूनिटों के द्वारा कुवों की चट्टानें फोड़कर उनको गहरा करने का कार्य किया जा रहा है। हरसी क्षेत्र की नहरों की मरम्मत की गई तथा किसानों को नहरों के पानी का ठीक ठीक उपयोग करने की सलाह ली जा रही है।

आधाशीशी उन्मूलन, कंटूर बंडिग (Contour Bunding) तालावों का निर्माण, वृक्षारोपण, फल तथा शाक भाजी की खेती आदि विभिन्न कार्य इन क्षेत्रों में किये जा रहे ह तथा अधिक से अधिक पड़त जमीन कृषि के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल हरसी क्षेत्र में ४४२ एकड़ बंजर जमीन कृषि के अन्तर्गत लाई गई तथा ३५३ फल के पौधे लगवाये गये। इन क्षेत्रों में फसल प्रतियोगिताएँ भी आरम्भ की गई हैं।

पशु पालन तथा पशु-चिकित्सा क्षेत्र में ९६७ बैल वधिया किये गये पशुओं के रोगों की चिकित्सा की गई तथा ४७,१६६ टीके लगाये गये मुर्गीपालन की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा अच्छी जाति के अण्डों के वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

राजपुर तथा डवरा क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा के ३२ केन्द्र खोले गये हैं। लगभग १० मील लम्बी सड़क तथा ११ नालियां बनाई गई हैं, तथा ६ सहकारी समितियां एवं १८६ ग्राम्य समितियां स्थापित की गई हैं। १६ गांवों में मनोरंजन तथा स्वास्थ्य रक्षा के हेतु व्होलीबॉल आदि खेल तथा १० गांवों में भजन कीर्तन का कार्यक्रम ग्रामवासियों द्वारा प्रारम्भ

किया गया। ग्रामीणों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये अधिकारियों द्वारा १२९ गांवों में सभाएँ की गई तथा लगभग १८०० घरों पर जाकर विभिन्न विषयों पर परामर्श दी गई।

हरसी क्षेत्र में घाटीगांव परगने में जलार्थी गांव ऐसी जगह बसा हुआ है जहां वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा हो जाने के कारण प्रति वर्ष रोगों के फैलने से कई व्यक्ति तथा पशुओं की मृत्यु हो जाया करती है। स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से अब यह गांव दूसरे उपयुक्त स्थान पर बसाया जा रहा है। इस गांव में लगभग ८० मकान होंगे। एक ओवरसियर के निरीक्षण में मकानों की नींव डाली जा रही है।

इसी क्षेत्र में अकवाई ग्राम में एक खादी केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्‌घाटन तारीख २ अक्टूबर ५२ को श्री मुख्य–मंत्रीजी द्वारा किया गया था। एक ग्रामवासी ने इस केन्द्र के लिये एक बीघा जमीन दी है तथा ४० बालक अब यहां कताई बुनाई आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

ग्राम विकास केन्द्र, महू

फोर्ड फाउन्डेशन ट्रस्ट के अन्तर्गत एक ग्राम विकास केन्द्र (Rural Development Pilot Project) गत १० अक्टूबर १९५२ से महू में स्थापित किया गया है। इस केन्द्र के अन्तर्गत महू तथा इन्दौर परगने के १०० गांव रखे गये हैं। भेलसा के गहन कृषि क्षेत्र तथा हरसी तथा राजपुर की सामुदायिक योजनाओं की तरह इस केन्द्र का उद्देश्य भी इसके अन्तर्गत लिये गये गांवों तथा वहां की जनता का सर्वतोमुखी विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत ५ वर्षों में रु. ३,८५,२०० का व्यय होगा, जिसमें से रु. २,०५,२०० फोर्ड फाउन्डेशन के द्वारा रु.९०,००० केन्द्रीय शासन तथा रु. ९०,००० मध्यभारत शासन के द्वारा वहन किया जायगा।

अधिकारियों को प्रशिक्षण.—

सामुदायिक विकास योजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये राज्य के पांच अधिकारी नीलोखेड़ी भेजे गये थे तथा दो अधिकारी विस्तार सेवा (Extension Work) की शिक्षा लखाना में प्राप्त कर लौट आये हैं। इनके अतिरिक्त कृषि विभाग के तीन निरीक्षकों को ग्राम विकास कार्य की शिक्षा सिंदवाई, मध्य प्रदेश में दी गई तथा दो निरीक्षक और तीन प्रदर्शक (Demonstrators) भू-क्षरण (Soil Conservation) की प्रशिक्षा प्राप्त करने के लिये शोलापुर भेजे गये हैं। सिंदवाई शिक्षण केन्द्र के वर्त्तमान सत्र में कृषि विभाग के चार और निरीक्षक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त तथा पानेवाले इन सब अधिकारियों का उपयोग कृषि उत्पादन तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के संचालन में किया जायगा।

आंतरी प्रशिक्षण केन्द्र —

सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा भेलसा और महू के विकास केन्द्रों में ५ गांवों के एक समुदाय के लिये एक ग्राम सेवक अथवा कार्यकर्ता रहेगा। ग्राम सेवक के लिये कृषि, पशु-चिकित्सालय तथा पशु-पालन, स्वास्थ्य, सफाई तथा शरीर रक्षा, सहकारिता एवं पंचायत आदि का सामान्य तथा प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक होगा। इन ग्राम सेवकों को तथा निरीक्षक वर्ग को प्रशिक्षण देने के लिये ग्वालियर से १८ मील दूर, आंतरी गांव में एक विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र (Extension Training Centre) १ दिसम्बर १९५२ से प्रारम्भ किया गया है।

शिक्षण केन्द्र की यह योजना चार वर्ष की है तथा इसमें कुल रु. ५५४,००० का व्यय होगा, जिसमें से रु. ३०,००० तथा रु. २,५०,००० क्रमश: टेक्निकल समझौते के अन्तर्गत तथा फोर्ड फाउन्डेशन के द्वारा वहन

होगा और शेष धनराशि में से १,७४,००० मध्यभारत शासन और . १,००,००० का व्यय केन्द्रीय शासन के द्वारा वहन किया जायगा।

सामुदायिक विकास योजनाओं में तीन वर्ष में ३३ निरीक्षकों की तथा १५५ ग्राम सेवकों की आवश्यकता होगी। आंतरी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रत्येक वर्ष में ६-६ माह के दो सत्र होंगे, तथा प्रत्येक सत्र में लगभग ७० व्यक्तियों को शिक्षा दी जायगी। इस प्रकार चार वर्षों में प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा ५६० ग्राम सेवक तैयार किये जा सकेंगे।

प्रशिक्षण केन्द्र में केवल उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तथा जिनमें ग्रामों में रचनात्मक कार्य करने की विशेष प्रवृत्ति हो। निरीक्षक वर्ग (Supervisory staff) को तथा ग्राम सेवकों (Village level workers) को प्रशिक्षण केन्द्र में सामुदायिक योजनाओं तथा विस्तार-सेवा संगठन, सामाजिक शिक्षा, कृषि, शाक-भाजी की खेती तथा बागवानी, पौध-संरक्षण कार्य, पशु-चिकित्सा तथा पशु-सुधार, गांव की सफाई तथा जन स्वास्थ्य, प्रौढ़-शिक्षा, सहकारिता, पंचायत, गृह निर्माण तथा सड़कों आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायगा।

केन्द्र के प्रिंसिपल के पद पर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर प्रशिक्षण केन्द्र के भूतपूर्व प्रिंसिपाल नियुक्त किये गये हैं। अन्य विषयों के अध्यापकों के पद पर भी योग्य अनुभवी विशेषज्ञों की नियुक्तियां की गई हैं। केन्द्र में इस समय १ दिसम्बर से ६३ कार्यकर्ता शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ-साथ गांवों में ले जाकर व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। शिक्षण काल में शासन की ओर से प्रत्येक कार्यकर्ता को ४० रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है।

सहकारिता, पंचायत तथा ग्रामसुधार

संविधान के अन्तर्गत आज के जन शासन का आदेश "लोक हितकारी राज्य" (Welfare State) माना गया है। लोक हितकारी शासन का मुख्य उद्देश्य उन साधनों को उपलब्ध करना है, जिनसे जनता का सर्वतोमुखी विकास हो सके। ग्रामीण जनता के विकास का मुख्य कार्य-क्षेत्र तथा माध्यम पंचायतें एवं सहकारिता मानी गई हैं।

विभाग की नीति.—

विकास विभाग के अन्तर्गत शासन की यह नीति है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय नेतृत्व को चुन कर उस क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों को उन्हें सौंप कर उनसे सम्पन्न करवाये जाएं। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय नेतृत्व को पंचायतों एवं सहकारी सभाओं में संगठित करके उसे समस्त ग्रामसुधार संबंधी प्रवृत्तियों के संचालन का केन्द्र बनाया जाय।

भारत सरकार द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना में देश की जन शक्ति (Man Power) के समुचित उपयोग के द्वारा गांवों की समस्या के निराकरण को अधिक महत्व दिया गया है।

मध्यभारत के निर्माण के पूर्व अधिकांश रियासतों में पंचायत, सहकारिता, ग्राम-सुधार आदि के लिये कोई पृथक् विभाग न होने से, इन क्षेत्रों में स्वायत्त शासन के विकास तथा सहकारिता के हेतु कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा सका था। मध्यभारत बनने के बाद सहकारिता, पंचायत तथा ग्राम सुधार की विविध प्रवृत्तियों का प्रसार करने के लिये

एक नवीन विभाग की स्थापना की जाकर उसे डेवलपमेंट कमिश्नर के आधीन रखा गया।

विभाग का संचालन. —

मध्यभारत बनने के बाद सर्वथा नवीन रूप से स्थापित किये जाने के कारण इस विभाग के एकीकरण तथा योग्य अधिकारियों के चयन आदि में कई कठिनाइयां उपस्थित हुईं। शासन के द्वारा नियुक्त एकीकरण समिति (Integration Committee) ने अव विभाग के संगठन (Structure) तथा पदाधिकारियों की वेतन-श्रेणी आदि के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है, जिस पर शासन के अन्य विभागों (अर्थ तथा नियुक्ति) और जन सेवा आयोग (Public Service Commission) का मत प्राप्त हो चुका है। मध्यभारत बनने के वाद, शासन को इस विभाग के कई पदों की पूर्ति अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा करनी पड़ी। विभाग के एकीकरण को अंतिम रूप देने के पूर्व शासन इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि केवल ऐसे ही व्यक्ति जिनमें आवश्यक योग्यता तथा कार्यक्षमता हो, उनके वर्तमान पदों पर रखे जाएं।

भारत अमरीकी टेक्निकल समझौते के अन्तर्गत प्रारंभ की गई हरसी तथा राजपुर की सामुदायिक विकास योजनाएं तथा महू का विकास केन्द्र अभी तक शासन के एग्रिकल्चर प्रॉडक्शन कमिश्नर के द्वारा संचालित किये जाते थे। उपर्युक्त योजनाओं का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास होने से कार्य की एकरूपता तथा उचित संचालन की दृष्टि से, शासन ने यह तय किया कि अन्य प्रान्तों की तरह मध्यभारत में भी इन केन्द्रों का संचालन डेवलपमेंट कमिश्नर के आधीन रखा जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हाल ही शासन द्वारा श्री प्रतापसिंह वापना, की डेवलपमट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति की जाकर

सहकारिता, पंचायत, ग्राम सुधार आदि के अतिरिक्त समाज विकास योजनाओं का संचालन उनके आधीन रखा गया है।

सहकारिता

योजना समिति.—

यद्यपि भूतपूर्व ग्वालियर तथा इन्दौर राज्यों का सहकारिता के विकास की ओर ध्यान आकर्षित हुआ था, तथापि इस दिशा में कोई विशेष प्रगति न हो पाई थी। प्रान्त में सहकारी संस्थाओं की वर्तमान स्थिति की जांच कर उनके आर्थिक विकास, तथा सहकारिता आंदोलन के व्यापक प्रसार के लिये योजना प्रस्तुत करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति बनाना शासन ने आवश्यक समझा। बम्बई के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री प्रोफेसर डी. जी. कर्वे की अध्यक्षता में गत जनवरी १९५२ में, १० सदस्यों की एक योजना समिति इस हेतु बनाई गई थी, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट गत जून माह के अन्त में प्रस्तुत की। मध्य भारत बनने के पूर्व से अनुबन्ध-कर्त्ता राज्यों म सहकारिता की स्थिति का विश्लेषण करते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में आंदोलन के प्रसार के हेतु योजना-बद्ध सुझाव प्रस्तुत किये हैं। अन्य कई सिफारिशों क अतिरिक्त, अपेक्स बैंक की स्थापना, वर्त्तमान सहकारिता विधान में संशोधन, आदिवासियों में सहकारिता का प्रसार, सहकारिता का शिक्षण तथा प्रचार आदि के संबंध में समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है तथा इस पर जनमत तथा अन्य सम्बन्धित विभागों की राय प्राप्त हो जाने पर इसकी सिफारिशों के संबंध में शीघ्र ही निणय व अमल किया जायगा।

सहकारिता विधान —

मध्यभारत बनने के वाद स्वतंत्र रूप से कोई सहकारिता विधान नहीं बनाया गया। मध्यभारत सहकारी समिति अनुकूलीकरण विधान,

संवत् २००६ के द्वारा "कानून कोआपरेटिव सोसायटीज, (सहकारी समितियां) रियासत ग्वालियर, संवत् १९९७" सन् १९४९ में भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के क्षेत्र के अतिरिक्त प्रान्त के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया गया। कर्वे समिति ने प्रचलित विधान की जांच कर, अपनी रिपोर्ट में कई संशोधन प्रस्तावित किये हैं। समिति के द्वारा दिये गये सुझावों के प्रकाश में एक नया सहकारिता विधेयक बनाया गया है, जिसके स्वीकृत हो जाने पर राज्य का सहकारिता विधान एक-रूपता को प्राप्त हो सकेगा।

अपेक्स बेंक. —

शासन ने दिसम्बर सन् १९५१ में मध्यभारत में सहकारिता के प्रसार के हेतु अपेक्स बेंक की स्थापना के संबंध में एक योजना स्वीकृत की थी। प्रस्तावित अपेक्स बेंक की संचालक समिति (Board of Directors) की रचना तथा बेंकों के एकीकरण के द्वारा अपेक्स बेंक की स्थापना के प्रश्नों पर ग्वालियर, इन्दौर तथा उज्जैन की केन्द्रीय सहकारी बेंक एक मत न होने से यह योजना कार्यान्वित न हो सकी। अपेक्स बेंक स्थापित न होने के मूलभूत कारणों की जांच कर, योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट में संचालक समिति (Board of Directors) की पुनर्रचना करने के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं, जो शासन द्वारा मान्य कर लिये गये ह। शासन को विश्वास है कि अपेक्स बेंक की स्थापना के संबंध में कोई अन्य कठिनाई उपस्थित न होकर यह शीघ्र स्थापित हो सकेगी।

प्रशिक्षण.—

किसी भी योजना अथवा आंदोलन की सफलता उसके संचालन करनेवाले कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली तथा विषय के ज्ञान पर निर्भर रहती है।

राज्यों के सहकारी अधिकारियों को सहकारिता का वैज्ञानिक शिक्षण देने के लिये रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत कोआपरेटिव ट्रेनिंग कालेज पूना में सहकारिता के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है। मध्यभारत से ६ अधिकारी सन् ५०-५१ में तथा उतने ही अधिकारी सन् ५१-५२ में शिक्षण के हेतु पूना भेजे गये थे, जो शिक्षा प्राप्त कर लौट आये हैं। पिछले वर्ष ५१-५२ की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यालय के विद्यार्थियों में से मध्यभारत के एक अधिकारी को ही सर्व प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव मिला। वर्त्तमान आर्थिक वर्ष ५२-५३ में ६ अधिकारी उपर्युक्त विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन के अतिरिक्त दो उच्च अधिकारी इस संस्था में, रिजर्व बैंक की योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा दो प्राप्त कर रहे हैं।

मध्यभारत केन्द्रीय सहकारी संस्था ने, जिसे अपनी कार्य प्रवृत्तियों के लिये शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, इस वर्ष तीन स्थानों पर सहकारिता शिक्षण कक्षाएं आरंभ की जिनमें १२५ कार्यकर्त्ताओं, बैंक के मंत्रियों तथा नये स्नातकों को शिक्षा दी गई।

पंचवर्षीय योजना तथा सहकारिता का प्रसार.—

पंचवर्षीय योजना में विविध प्रकार की सहकारी सभाओं का निर्माण कर उनकी व्यवस्था के लिये उचित शासकीय सहायता तथा ऋण देने की व्यवस्था की गई है। वर्त्तमान आर्थिक वर्ष ५२-५३ में सहायता के हेतु रु. २,०४,८०० तथा ऋण के लिये रु. २,८२,००० की धनराशि उपलब्ध की गई है। ८ सहकारी बैंकों को, जिनमें से ६ नई हैं, उनकी व्यवस्था तथा संचालन आदि के व्यय के लिये रु. ४९,४०० सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये ह। १,५५,४०० की शेष धनराशि सहकारी सभाओं को आर्थिक

सहायता देने के लिये समस्त जिलों में वितरित की गई है। योजना के अन्तर्गत वर्त्तमान आर्थिक वर्ष ५२-५३ में ३२७ नई सहकारी समितियां बनाई जाने वाली थीं, जिनमें से जनवरी ५३ के अन्त तक २९५ सभाओं की स्थापना की जा चुकी है।

सहकारी बैंकों के कार्य विस्तार के लिये शासन ने यह व्यवस्था की है कि शैक्षणिक संस्थाएं, नगरपालिकाएं आदि भी अपनी अतिरिक्त पंजी सहकारी बैंकों में जमा कर सकेंगी। मध्यभारत शासन के प्रस्ताव पर केन्द्रीय शासन न सहकारी संस्थाओं को आय कर (Income Tax) से मुक्त कर दिया है।

पंचायतें

मध्यभारत पंचायत नियम, संवत् २००८ के नियम ४० के अनुसार मध्यभारत पंचायत विधान, संवत् २००६ के अन्तर्गत स्थापित समस्त ग्राम पंचायतों ने गणतंत्र दिवस २६ जनवरी १९५२ से कार्यारम्भ कर दिया था। इनके अतिरिक्त ७ जिलों की केन्द्र व न्याय पंचायतें तथा २ जिलों की मंडल पंचायतों ने भी इसी दिन से कार्य आरम्भ कर दिया था। शेष केन्द्र, न्याय तथा मंडल पंचायतों ने अपना कार्य वर्तमान आर्थिक वर्ष में आरम्भ किया और जुलाई १९५२ के अन्त तक सम्पूर्ण जिलों में ४११० ग्राम, २२३ केन्द्र, २२३ न्याय तथा १६ मंडल पंचायतों ने विधिवत् कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

ग्राम सेवक विद्यालय, आगर में शिक्षा पाये हुए ग्राम सेवकों को केन्द्र पंचायतों के मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है तथा जिले के विकास अधिकारी मंडल पंचायतों के मंत्री का कार्य संपादित कर रहे हैं। समस्त जिलों की ग्रामोन्नति परामर्श-दात्री समितियां समाप्त होकर मंडल पंचायतों के व्दारा उनका कार्य-भार गृहण किया गया है।

राज्य के कई क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना एक नवीन प्रयोग होने पर भी अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही पंचायतें बड़े उत्साह से कार्य कर रही हैं । पंचायतें रचनात्मक कार्य में भी सक्रिय रुप से भाग ले रही हैं और जनवरी माह के अन्त तक ६२ कुवें , ११ पंचायत भवन, १ कन्या पाठशाला तथा छोटे-छोटे तालावों की दुरुस्ती के कार्य उनके व्दारा संपादित किये गये । वन महोत्सव तथा अधिक अन्न उत्पादन में भी पंचायतों व्दारा सक्रिय सहयोग दिया गया ।

न्याय पंचायतें.—

न्याय पंचायतें अपना कार्य सफलता-पूर्वक संचालित कर रही हैं । मध्य-भारत पंचायत विधान, संवत् २००६ की धारा ६८ के अन्तर्गत तहसील महू की ग्राम पंचायत हरसोला की कार्य क्षमता देखकर शासन ने उसे रु. ५०० तक की मालियत के दावों के सुनने के अधिकार प्रदान किये हैं । इसी प्रकार देवास जिले की चार ग्राम पंचायतें, पीपलरवां, कमालपुर, नेमावर तथा नेवरी और इन्दौर जिले की ग्राम पंचायत हातोद को आवश्यक कार्य-क्षमता रखने के कारण न्याय पंचायत के अधिकार प्रदान किये गये ।

पंचायत विधान में संशोधन —

मध्यभारत पंचायत विधान, संवत् २००६ की धारा ३८, ८० तथा १०३ के आदेशों के पालन में कुछ कठिनाई होने से इन धाराओं में संशोधन किया जारहा है, न्याय पंचायत के पंचों के भत्ते की दरें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा पंचायत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अधिकारी के अधिकार विभिन्न अधिकारियों को प्रदान किये गये हैं

ग्राम-सेवक विद्यालय, आगर का पुनगठन तथा संचालन —

अगस्त सन् १९५०, में केन्द्र पंचायतों के मंत्री के पद पर नियुक्त किये जानेवाले ग्राम सेवकों को शिक्षा देने के लिये आगर में ग्राम सेवक विद्यालय की स्थापना की गई थी। विद्यालय का कार्य-क्षेत्र पंचायतों के लिये ग्राम सेवा के विविध कार्यों का शिक्षण देने और अपने ढंग की एक आदर्श संस्था बनाने के लिये शासन ने गत फरवरी १९५२ में इस संस्था के पुनर्गठन की एक योजना स्वीकृत की जिसके अन्तर्गत इसका संचालन आचार्य के आधीन रखा गया है। विद्यालय से सम्बन्धित विविध विषयों पर शासन को परामर्श देने के लिये श्री विकास मंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई गई है, जिसके संयोजक विद्यालय के आचार्य हैं। विद्यालय के आचार्य के पद पर गत मार्च, १९५२ में श्री काशिनाथजी त्रिवेदी नियुक्त किये गये हैं।

विद्यालय में अभी तक १८६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा ५६ ग्राम सेवक इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष से अध्ययन का कार्य-काल ७ माह से बढ़ाकर १० माह कर दिया गया है। विद्यालय की दिनचर्या आश्रम के ढंग की रखी गई है और उसके पाठ्य क्रम में पंचायत तथा ग्राम्य जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त विषय, जैसे सहकारिता, कृषि, पशु-चिकित्सा, बागवानी, बढ़ईगीरी, गृह-उद्योग आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। विद्यालय का सारा कार्यक्रम स्वावलम्बन के ढंग पर रखा गया है। विद्यार्थियों ने आपसी सहयोग तथा परिश्रम से इस वर्ष ज्वार तिल्ली, कपास, मक्का आदि की खेती कर लगभग .२०० के मूल्य की उपज पैदा की। इसी प्रकार विद्यालय परिवार ने निजी परिश्रम से जल संचित करने के लिये एक बड़ी टंका बनाई।

सामूहिक यात्रा, विद्यालय के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय के संपूर्ण विद्यार्थियों एवं अध्यापक वर्ग ने इस वर्ष मांडव की पैदल यात्रा की, जो कई दृष्टियों से अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है।

मध्यभारत पशु अतिक्रमण विधान.—

मध्यभारत पशु अतिक्रमण विधान श्रीमंत राजप्रमुख द्वारा सन् १९५० में स्वीकृत हुआ था, किन्तु इसके अन्तर्गत दिये जानेवाले दंड की दरें निर्धारित होने तथा कुछ पत्रक (Forms) प्रकाशित होने में समय लग जाने से जुलाई सन् १९५२ से उक्त विधान मध्यभारत में प्रभावशील किया गया। इस विधान के प्रभावशील होने से समस्त कोंडवाड़े सम्बन्धित केन्द्र पंचायतों के अधिकार में हस्तांतरित होगये हैं।

पंचवर्षीय योजना तथा ग्राम सुधार

पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष पंचायत कोष में सहायक अनुदान देने के लिये रु. ९,१२,००० की धनराशि उपलब्ध है, जो समस्त पंचायतों को वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पंचायत भवन, पीने के पानी के कुंवे तथा कच्ची सड़कों के निर्माण के लिये तथा ग्रामीण क्षेत्र में रेडियो लगाने और केन्द्र पंचायतों के पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रदान करने के लिये . २,१७,००० की धनराशि उपलब्ध की गई है। पुस्तकों के हेतु निर्धारित धनराशि को छोड़ कर शेष रकम शासन के द्वारा ५०:५० के तत्व पर स्वीकृत की जाती है। अर्थात् स्थानीय जनता द्वारा किसी कार्य के लिये धन, साधन अथवा परिश्रम के रूप में आधी कीमत की व्यवस्था करने पर शेष रकम शासन द्वारा सहायता के रूप में स्वीकृत की जाती है। २२३ केन्द्र पंचायतों के स्थानों पर चलते-फिरते वाचनालय स्थापित किये गये हैं तथा उन्हें शासन की ओर से पुस्तकें प्रदान की गई हैं।

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि को विभिन्न ग्राम-सुधार प्रवृत्तियों में व्यय करने की वर्त्तमान योजना में अधिक सुधार करने के संबंध में शासन विचार कर रहा है।

जल कष्ट निवारण.—

मध्यभारत के दक्षिणी तथा दक्षिण-पश्चिमी जिलों में गत वर्ष वर्षा की कमी के कारण पीने के पानी का अत्याधिक कष्ट होने लगा। इस कष्ट को दूर करने के लिये शासन ने रु. १२,४६,२५० के व्यय की एक योजना स्वीकृत की जिसके अन्तर्गत बोरिंग के द्वारा नये कुंवे खुदवाने और पुराने कुंवों को साफ और गहरा करवाने की व्यवस्था रखी गई। बोरिंग का कार्य दो ठेकेदारों की मशीनों के द्वारा तथा शासन के कृषि विभाग की मशीनों को ठीक करा कर उनके द्वारा किया गया। झाबुआ, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, इन्दौर तथा देवास जिलों में १६ स्थानों पर इन मशीनों के द्वारा कार्य किया गया जिनमें से १२ स्थानों पर संतोषजनक मात्रा में पानी निकला है और यह विश्वास है कि वहां अब जल कष्ट की कठिनाई उपस्थित न होगी।

यातायात की असुविधा एवं कठिनाइयों के कारण अधिक स्थानों पर बोरिंग का कार्य आरंभ किया जाना संभव न होने से वर्त्तमान कुवों को साफ एवं गहरा करवाकर उनमें पानी उपलब्ध किया गया। कुंवों को साफ और गहरा करवाने के लिये शासन की ओर से आदिवासी क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में ५०:५० के तत्व के आधार पर सहायता प्रदान की गई। आदिवासी क्षेत्र में सारा खर्च शासन की ओर से ही किया गया। इस कार्य के हेतु कुल रु. ३,६२,१३०-८ की धनराशि व्यय होकर ११६७ कुंवे साफ तथा गहरे करवाये गये। ऐसे स्थानों पर जहां जल की कोई व्यवस्था न होने से अत्यधिक कष्ट था, ट्रेक्ट्रों-

टेंकर्स द्वारा तथा मोटर लारी और बैल गाड़ियों पर पानी की टंकिया चढ़ा कर जनता को जल वितरण की व्यवस्था की गई। गत वर्ष स्वीकृत जल कष्ट निवारण की इस योजना में कुल १० लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई।

इस वर्ष भी वर्षा की कमी के कारण कई जिलों में, विशेषतः आदिवासी क्षेत्र में जल कष्ट का अनुभव किया जा रहा है। जहां-जहां आगामी ग्रीष्म ऋृतु में अधिक जल कष्ट होने की संभावना है वहां शीघ्र ही आवश्यक साधनों की उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में शासन प्रयत्नशील है। जलकष्ट निवारण के लिये शासन ने इस वर्ष रु ५,४०,००० स्वीकृत किये हैं, तथा विभाग के द्वारा दो एयर कम्प्रेशर्स खरीदे गये हैं। जनवरी माह के अन्त तक २३४ कुंवे साधारण रीतिसे गहरे करवाये गये हैं, २३ झीरियां तथा ३३ बांध बनाये गये हैं और डायनामाइट तथा एयर कम्प्रेशर्स के प्रयोग से १०६ कुंवे गहरे करवाये गये। इनके अतिरिक्त नवीन कुंवों के निर्माण में भी सहायता प्रदान की जा रही है।

निमाड़, धार तथा झाबुआ जिलों में १८ स्थानों पर बोरिंग का कार्य प्रारंभ किया गया, जिनमें से ११ स्थानों पर कार्य हो चुका है तथा शेष स्थानों पर कार्य किया जा रहा है।

प्रचार कार्य.—

ग्रामीण जनता में पंचायत, सहकारिता, कृषि, अधिक अन्न उत्पादन आदि विषयों का प्रचार कर उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिये विभाग "ग्राम सुधार" नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कर रहा है। अब इस पत्र की ९५० के बजाय ११५० प्रतियां प्रकाशित की जा रहीं हैं। पत्र में आदवासियों से सम्बन्धित समस्याओं पर भी विशेषरूप से प्रकाश डाला जाता है। इस पत्र में अधिक सुधार करने की आवश्यकता है तथा इस दिशा में प्रयत्न किया जारहा है।

नगर सुधार व गृह निर्माण तथा जन-स्वास्थ्य इंजिनियरिंग विभाग

मध्यभारत के विकास में ग्राम सुधार की विविध योजनाओं के साथ-साथ नगर-सुधार एवं गृह-निर्माण के कार्यक्रम का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।वर्तमान युग, औद्योगीकरण का युग होने से पिछले कुछ वर्षों से गांवों में रहने वाले लोगों का प्रवाह नगरों तथा शहरों की ओर वहता चला आरहा है। परिणामतः, इन शहरों की आवादी पिछले १० वर्षों से अत्यधिक बढ़ गई है जिसके साथ ही मकानों की तथा पानी की व्यवस्था, नालियों का निर्माण व सफाई, आदि अनेक समस्याएं उपस्थित होगई हैं। नगर की इन बढ़ती हुई समस्याओं का निराकरण कर उनका सुधार व समुचित विकास करने के हेतु नगर सुधार व गृह-निर्माण तथा जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया है।

विभागीय नीति.—

उपर्युक्त कथन से इस विभाग के मूल उद्देश्य व नीति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। १५ हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के योजना-बद्ध सुधार व प्रगति के लिए आवश्यक विधान बनाकर उसके अन्तर्गत व्यवस्था करना, मुख्य शहरों के सुधार की योजना (मास्टर प्लान) बनाना तथा शहर के गन्दे एवं अस्वास्थ्य-जनक क्षेत्र (Slums) के सुधार के हेतु उनमें नालियां (Main drains) व सड़कों (Approach Roads) का प्रबन्ध करना शासन की नीति है।

मकानों की बढ़ती हुई समस्याओं को हल करने के लिये निम्न व मध्यम श्रेणी के लोगों की गृह-निर्माण समितियों को प्रोत्साहन तथा यथासंभव आर्थिक एवं टेक्निकल सहायता देना शासन की मान्य नीति है।

संचालन.—

मध्यभारत बनने के पूर्व ग्वालियर तथा इन्दौर राज्यों में ही पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग विभाग थे। अक्टूबर सन १९४९ में इन विभागों का एकीकरण कर एक नया विभाग स्थापित किया गया जिसका संचालन सुपरिटेंडिंग इंन्जीनियर के आधीन रखा गया। शासन के द्वारा नियुक्त एकीकरण समिति (Integration Committee) ने इस विभाग के एकीकरण के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है जिन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

पानी की व्यवस्था

नगरों तथा शहरों में पानी की सुविधा की समुचित व्यवस्था करना विभाग का एक प्रमुख कार्य है। मध्यभारत में वर्तमान में ग्वालियर, इन्दौर, भिण्ड, भेलसा, राजगढ़, धार, शिवपुरी तथा झाबुआ के वाटर-वर्क्स का संचालन इस विभाग द्वारा किया जारहा है। उज्जैन का वाटर वर्क्स इस विभाग तथा इन्स्पेक्टर जनरल म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा सम्मिलित रूप से संचालित किया जारहा है। इनके अतिरिक्त, देवास, शाजापुर, मन्दसौर, सारंगपुर, श्योपुर, मुरैना, महिदपुर, सनावद, सरदार-पुर, तथा ब्यावरा में स्थानीय नगरपालिकाओं के द्वारा उनके देख-रेख में वाटरवर्क्स चलाये जा रहे हैं। विभाग के द्वारा वाटरवर्क्स की व्यवस्था तथा नगरों की सफाई के संबंध में नगरपालिकाओं को आवश्यक परामर्श दिया जाता है। वर्तमान आर्थिक वर्ष में विभाग के द्वारा गोहद,

स्योपुर, ब्यावरा, महेश्वर तथा सेंधवा की नगरपालिकाओं को इस प्रकार की सहायता प्रदान की गई।

ग्वालियर वाटरवर्क्स.—

ग्वालियर वाटरवर्क्स में वर्तमान आर्थिक वर्ष में दो फिल्टर्स तथा उसके साथ दो कोगुलेशन टेंकों (Coagulation Tanks) का निर्माण किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर शहर को अधिक पानी उपलब्ध हो सके इस हेतु मोतीझील पर एक रिजर्व टेंक (Reserve Tank) का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोहे के नलों को बदल कर नये २४ इंच के नल (C. I. Pipes) डालने के सम्बन्ध में कार्य-वाही की जारही है। इस कार्य में चार लाख का व्यय होगा।

उज्जैन वाटरवर्क्स.—

उज्जैन में नया वाटरवर्क्स बनाने की एक योजना ग्वालियर राज्य द्वारा स्वीकृत की गई थी। मूल योजना में पावर की व्यवस्था तथा ड्रेनेज और वाटरवर्क्स की एक मिली-जुली प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अप्रेल १९५१ में इस योजना से ड्रेनेज की योजना पृथक् कर, केवल वाटर वर्क्स का कार्य हाथ में लिया गया जो लगभग पूरा हो चुका है। ३० मई ५२ से इस वाटरवर्क्स ने कार्य आरम्भ कर दिया है। जिस शक्ति के साथ इस वाटर वर्क्स के द्वारा पानी वितरण होना चाहिये वह पावर की कमी के कारण संभव नहीं हो सका है। किन्तु यह बहुत शीघ्र होने की संभावना है।

धार वाटरवर्क्स में सुधार.—

लगभग २॥ लाख रु. के व्यय से धार के वर्त्तमान वाटरवर्क्स में सुधार करने के हेतु शासन नें सन ५१ में एक योजना स्वीकृत की थी। योजना के अन्तर्गत वाटरमेन्स में सुधार, ऊंचे रिजर्वायर (Elevated

Reservoir) का निर्माण, मशीन के पुर्जों में परिवर्तन तथा शासकीय भवनों में पानी पहुंचाने आदि की व्यवस्था की जा रही है।

झाबुआ वाटरवर्क्स.—

वर्त्तमान में झाबुआ में पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण केवल शासकीय भवनों में ही पानी पहुंचाया जाता है। पानी की सुविधा का क्षेत्र अधिक व्यापक करने की दृष्टि से एक पंपिंग मशीन और लगाने, प्रेशर फिल्टर्स पंपिंग हाउस व ऊंचा टैंक बनाने तथा नल डालने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

नये वाटरवर्क्स.—

वर्त्तमान में चल रहे वाटर-वर्क्स के संचालन तथा देखभाल के अतिरिक्त विभाग के द्वारा नये वाटर वर्क्स खोलने के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है। वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में वडनगर, शुजालपुर, खाचरोद, गुना तथा रतलाम में नये वाटर-वर्क्स के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

शुजालपुर वाटर-वर्क्स की योजना के अन्तर्गत वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में एक लाख तथा अभी तक पांच लाख बीस हजार की धनराशि व्यय हुई है। इसका कार्य समाप्त हो चुका है तथा शीघ्र ही पानी देना प्रारम्भ किया जायगा।

वड़नगर के वाटर-वर्क्स की योजना के अन्तर्गत वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में रु. ३,१०,७४० व्यय हुए हैं। कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार खाचरौद के वाटर-वर्क्स में वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में ३,२६,००० की धनराशि व्यय हुई है। यहां भी कार्य लगभग समाप्त हो चुका है तथा जनता को शीघ्र ही पानी देने की व्यवस्था की जा रही है।

गुना में पानी की व्यवस्था करने के हेतु एक कुआ खोदा गया है। ६,००,००० गैलन पानी की एक टंकी आगामी वर्ष में बनाई जायगी। इस योजना में वर्त्तमान वर्ष में रु. ९०,००० तथा कुल योजना के अन्तर्गत रु. २,३०,००० की धनराशि व्यय होगी।

रतलाम में वाटर वर्क्स स्थापित करने के हेतु सन् ५१ में १० लाख रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई थी। नगर से पांच मील दूर श्री पानी महाराज की सलाह से एक स्थान चुना गया है जहां कूआं खोदा जा रहा है। कूआं ५० फूट से अधिक गहरा खोदा जा चुका है। श्री पानी महाराज का अनुमान है कि ७५ फूट गहराई तक पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। कूएं के पानी की क्षमता की जांच करने के बाद योजना से संबंधित अन्य कार्य संपन्न किए जायेंगे।

पीने के पानी के कूओं का निर्माण

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे नगरों में जहां पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, कूएं खुदवाने के हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध की गई है। इस प्रकार के प्रत्येक कार्य में यह नीति अपनाई गई है कि कुल व्यय की आधी रकम शासन के द्वारा सहायता के रूप में तथा शेष स्थानीय नगरपालिकाओं के द्वारा वहन की जाय। योजना के अन्तर्गत रामपुरा तथा नीमच की नगरपालिकाओं को दस-दस हजार भानपुरा, बासोदा, मन्दसौर तथा जावद की नगरपालिकाओं को पांच-पांच हजार तथा आलोट को ढाई हजार रुपये की धनराशियां वितरित की गई हैं। इन में से कुछ नगरपालिकाओं के द्वारा उनके लिये स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग बोरिंग के तथा वर्त्तमान कूओं को गहरा करवाने के कार्य में करने की अनुमति चाही गई है। इस कारण नये कूएं खुदवाने के कार्य में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है।

ड्रेनेज योजनाएँ

नगरों की सफाई तथा जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गंदे पानी के निकास के लिए जमीन के अन्दर (Underground) अथवा बाहर नालियां (Drains) बनाना अत्यन्त आवश्यक है। नगरों में नालियां आदि बनाना तथा उनकी देखभाल करना मुख्यतः नगरपालिकाओं का कार्य है। स्वास्थ्य-रक्षा तथा सफाई की दृष्टि से यह वांछनीय है कि प्रत्येक नगर में ड्रेनेज प्रणाली की व्यवस्था की जाय। विभाग की ओर से आवश्यकतानुसार नगरों को ड्रेनेज प्रणाली के निर्माण तथा व्यवस्था के हेतु आवश्यक टेक्निकल तथा यथा संभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

ग्वालियर (लश्कर, मुरार, तथा ग्वालियर), इन्दौर, उज्जैन, भिण्ड, भेलसा, शिवपुरी, मुरेना, मन्दसोर, तथा श्योपुर की ड्रेनेज व्यवस्था विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है।

वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में इन्दौर, भेलसा तथा मन्दसौर में ड्रेनेज प्रणाली के सुधार के हेतु कार्य किया जा रहा है। सन् ४८ में तत्कालीन इन्दौर राज्य ने इन्दौर की ड्रेनेज व्यवस्था के लिये १ करोड़ रु. के अनुमानित व्यय पर एक योजना स्वीकृत की थी। योजना के अन्तर्गत ३० लाख रुपये व्यय हो चुके हैं तथा कार्य चालू है। इस कार्य के हेतु ६० प्रतिशत व्यय शासन तथा शेष नगरपालिका के द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार मन्दसौर और भेलसा की पूर्व-स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में कार्य किया गया।

स्युएज फार्मस्

ग्वालियर, मुरार, इन्दौर, भेलसा, शिवपुरी, भिण्ड और उज्जैन में शहर के गंदे पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई करके उत्पादन बढ़ाने के

काम में लिया जाता है। उपर्युक्त नगरों के स्युएज फार्मों में कुल १,००० से अधिक एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। शासन की यह योजना है कि सब नगरों में जहां ड्रेनेज व्यवस्था है, गन्दे पानी का सिंचाई के कार्य में उपयोग किया जाय।

गृह-निर्माण योजना

औद्योगिक गृह-निर्माण.—

जनसंख्या बढ़ जाने, कारखानों में काम करने के हेतु गांव में रहने वाले बहुतसे लोगों के शहरों में आकर बस जाने और पुरुषार्थियों के आगमन के कारण मकानों की कमी की समस्या ने आजकल व्यापक रूप धारण कर लिया है। भारत सरकार ने हालही प्रान्तों को औद्योगिक श्रमिका के लिये गृह-निर्माण के हेतु आर्थिक सहायता (Subsidy) देने की एक योजना स्वीकृत की है, जिसके अन्तर्गत मध्यभारत में इस कार्य का श्रीगणेश गत दिसम्बर मास से किया जा चुका है।

भारत सरकार के द्वारा इस कार्य के लिये शासन को वर्तमान आर्थिक वर्ष में रु. २६,४२,००० की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसमें से आधा भाग सहायता (Grant) व शेष आधा ऋण के रूप में मिलेगा। योजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के रहने के लिये ५०० मकान इन्दौर, ३१२ ग्वालियर, १०० उज्जैन तथा १०० रतलाम में, इस प्रकार कुल १०१२ मकान बनाये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त शासन की ओर से केन्द्रीय शासन को एक और योजना भेजी गई है, जिसके स्वीकृत होने पर इन्दौर, उज्जैन, रतलाम तथा मन्दसौर में कुल ८४० मकान और बनाये जा सकेंगे। आगामी वर्ष ५३-५४ में औद्योगिक गृह-निर्माण के हेतु केन्द्रीय शासन को ७४ लाख स्वीकृत करने के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है।

केन्द्रीय शासन द्वारा स्वीकृत की गई योजना में यह व्यवस्था की गई है कि औद्योगिक गृह निर्माण कार्य, विधान के अन्तर्गत बनाई गई गृह निर्माण समिति (Statutory Housing Board), कारखानों के मालिकों तथा मजदूरों की सहकारी समितियों के द्वारा संपादित किया जाय। मजदूरों की गृह-निर्माण सहकारी समितियां बनाने के हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही शासन यह अपेक्षा करता है कि कारखाने के मालिक भी इस योजना को कार्यान्वित करने में पूर्ण सहयोग देंगे।

सामान्य गृह-निर्माण —

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासकीय सेवकों के लिये गृहों के निर्माण के हेतु १ लाख की धनराशि सन् ५१-५२ में तथा उतनी ही धनराशि वर्तमान आर्थिक वर्ष में उपलब्ध की गई है, जो गुना में १०, ब्यावरा में १०, जावरा में ५, देवास में १०, तथा मन्दसौर में ५ मकान (Quarters) बनवाने में व्यय हुई।

मध्यभारत में मकानों की समस्या के सम्बन्ध में एक परामर्शदात्री समिति स्थापित की जा रही है, जो श्री विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

नगर सुधार बोर्डस्

वर्तमान में मध्यभारत मे इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, मन्दसौर, शिवपुरी तथा गुना इन ६ नगरों में नगर-सुधार बोर्ड्स (Town Improvement Boards) हैं।

यद्यपि विभाग की नीति है कि आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक बोर्ड को अपनी प्रवृत्तियों के संचालन के हेतु आत्म-निर्भर होना चाहिये, तथापि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रवृत्तियों के लिये शासन की ओर से उन्हें ऋण

स्वीकृत किया जाता है। रतलाम में अभी तक नगर-सुधार बोर्ड स्थापित नहीं हुआ है, किन्तु नगर-सुधार की एक योजना बनाई गई है। ग्वालियर नगर-सुधार विधान (Gwalior Towns Improvement Act) रतलाम में भी लागू करके उसके अन्तर्गत वहां नगर-सुधार बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

शासन की यह नीति है कि मध्यभारत के समस्त बड़े नगरों में नगर-सुधार बोर्ड्स (Town Improvement Boards) स्थापित किये जांय। इसके लिये विभाग के द्वारा नगर-सुधार विधेयक (Town Imporvement Bill) तैयार किया गया है जो नगरपालिका विधान के स्वीकृत हो जाने के उपरांत धारा सभा में प्रस्तुत किया जायगा। ग्वालियर, गुना, मन्दसौर, नीमच, शिवपुरी तथा रतलाम नगरों के विकास के लिये मुख्य योजनाएं (Master Plans) तैयार की जा चुकी हैं। अन्य महत्वपूर्ण नगरों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की योजनाएं शीघ्र बनाई जायंगी।

श्रम विभाग

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रम तथा श्रमिक वर्ग का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है, और पहले से इन दोनों का महत्त्व भी अधिक बढ़ गया है। स्वतंत्र भारत के विकास की प्रत्येक योजना की सफलता की कुंजी खेतिहर और कारखानों के श्रमिक और उनका परिश्रम ही है। श्रम के इस महत्त्व को देखते हुए श्रमिकों का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना जन शासन का महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है।

शासन की नीति.—

श्रम विभाग के अन्तर्गत शासन की यह नीति रही है कि बड़े कारखानों के श्रमिकों के लिये जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें स्थायी कीजाकर मध्यम श्रेणी, छोटे तथा मौसमी (Seasonal) कारखानों के श्रमिकों को भी अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जांय और खेतिहर तथा दूसरे कुछ विशिष्ट व्यवसाय के मजदूरों के अल्पतम वेतन शीघ्र निर्धारित किये जांय।

विविध औद्योगिक विवादों के निराकरण के हेतु श्रमिक तथा मालिक इन दोनों पक्षों के बीच समझौता प्रणाली व पंच प्रथा को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन देने की अपनी नीति का पालन करने के साथ ही शासन औद्योगिक शान्ति व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के हेतु आवश्यकता पड़ने पर कानून की सहायता भी उपलब्ध करना अपना कर्त्तव्य समझता है।

इसी प्रकार बेकारी को दूर करना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं तथा श्रमिकों की सहकारी समितियां स्थापित करना और श्रमिक स्वास्थ्य-सेवा तथा श्रमिक-कल्याण कार्य में वृद्धि करना शासन का उद्देश्य है।

अन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन.—

भारत सरकार की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिये मध्यभारत के श्रम मंत्री श्री व्यं. वि. द्रविड़ भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनकर गत मई मास में जेनेवा (Geneva) गये थे, जहां वे, उक्त सम्मेलन के उपाध्यक्ष निर्वाचित किये गये। श्री द्रविड़ के नेतृत्व में इस बार भारतीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा किया गया कार्य सम्मेलन के क्षेत्रों में अत्यन्त सफल एवं प्रशंसनीय माना गया। इस यात्रा का लाभ उठाकर श्री द्रविड़ ने इंग्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी, हालेण्ड, स्वीडन, आदि अन्य राष्ट्रों का भी भ्रमण किया तथा वहां के उद्योगों और श्रम तथा श्रमिक वर्ग की स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया।

श्रम विभाग का संचालन.—

श्रम विभाग का संचालन श्रम कमिश्नर के आधीन तथा औद्योगिक सम्बन्ध विधान (Industrial Relations Act) के अन्तर्गत विवादों का निराकरण श्रम न्यायालय द्वारा किया जाता है। श्रम तथा श्रम न्यायालय विभागों के एकीकरण के सम्बन्ध में जनसेवा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एकीकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर विचार हो जाने के बाद दोनों विभागों का एकीकरण शासन द्वारा स्वीकृत किया जायगा।

श्रम संबंधी विधान तथा उनका पालन

मध्यभारत निर्माण होने के बाद, अन्य राज्यों तथा केन्द्र के विधानों के आधार पर, मध्यभारत में कुछ श्रम विधान बनाये गये थे। दिनांक

१ अप्रेल १९५१ से "भाग 'ख' राज्य (विधि) विधान" [Part B States (Laws) Act] केन्द्रीय शासन द्वारा प्रभावशील किये जाने पर समस्त श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय विधान अन्य 'ख' राज्यों की तरह मध्यभारत में भी लागू हो गये हैं। इन विधानों के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए नियम बनाने का अधिकार मध्यभारत शासन को प्राप्त है। अभी तक शासन के द्वारा निम्नलिखित विधानों के अन्तर्गत नियम बनाये गयें हैं.—

१. फेक्टरीज एक्ट.
२. पेमेंट आफ वेजेस् एक्ट.
३. मिनिमम् वेजेस एक्ट.
४. वर्कमेन्स कम्पेंसेशन एक्ट.
५. मेटर्निटी वेनिफिट एक्ट.
६. इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टेंडिग आर्डर्स) एक्ट.
७. ट्रेड यूनियन एक्ट.
८. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस् एक्ट.
९. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट.

मिनिमम वेजस एक्ट.—

मिनिमम वेजेस एक्ट के अन्तर्गत वर्त्तमान आर्थिक वर्ष ५२-५३ में संतोषजनक कार्यवाही हुई है। बीड़ी उद्योग में काम करनेवाले मजदूरों के अल्पतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में जांच करने के लिये शासन ने एक समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। विधान की धारा ५ (१) 'अ' के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों के अल्पतम वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति सक्रिय रूप से जांच कर रही है। चांवल, दाल, आटा तथा तेल की मिलों में काम करनेवाले और सड़क तथा मकान बनानेवाले मजदूरों के वेतन की दरें जनमत

प्राप्त करने के हेतु विज्ञापित की गई हैं। इसी प्रकार पत्थर फोड़नेवाले मजदूरों की वेतन दर विज्ञापित की जारही है और पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के मजदूरों की वेतन दरों पर शासन विचार कर रहा है।

एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड्स विधान.—

मार्च १९५२ में भारत सरकार के द्वारा एम्प्लाइज प्रोविडेण्ट फंड्स एक्ट प्रभावशील किया गया, जिसके अन्तर्गत वनाई गई योजना मध्यभारत मे १ ली नवम्बर १९५२ से प्रभाव में आई। विधान तीन वर्ष या उससे अधिक समय से चल रही सिग्रेट, लोहा, कागज, कपड़ा, सीमेण्ट तथा विजली और मेकनिकल इंजीनियरिंग के उपकरणों को निर्माण करनेवाली तमाम फेक्टरियों को लागू होता है, जिसमें ५० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों। योजना के अनुसार प्रत्येक मजदूर के वेतन तथा भत्ते की रकम में से प्रति माह ६¼ प्रतिशत कटोत्रा किया जाकर उतनी ही रकम सम्बन्धित उद्योग के मालिक द्वारा जोड़ी जायगी। प्रोविडेण्ट फंड्स की इस योजना से मध्यभारत में विभिन्न उद्योगों के लगभग २२ कारखानों क ४०,००० मजदूरों को लाभ होगा।

प्रोविडेण्ट फंड्स की उपर्युक्त योजना केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित की जा रही है। केन्द्र द्वारा इस योजना के संचालन के हेतु डेप्युटी लेबर कमिश्नर को रीजनल प्रोविडेण्ट फंड्स कमिश्नर तथा पेमेंट आफ वेजेस इन्सपेक्टर को प्रोविडेंट फंड्स इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है।

एम्प्लाइज स्टेट इंशोरेंस विधान.—

"एम्प्लाइज स्टेट इंशोरेंस एक्ट (Employees State Insurance Act)" भाग 'ख' राज्यों में लागू किया जा चुका है। इस विधान के अन्तर्गत बीमे की योजना मध्यभारत में अप्रैल १९५४ से प्रभाव में आवेगी, जिसके सम्बन्ध में प्रारंभिक कार्यवाही की जारही है।

औद्योगिक सम्बन्धी विवादों का निराकरण

औद्योगिक झगड़ों तथा विवादों का निराकरण तथा मजदूर वर्ग और मालिकों के आपसी मत-भेद को दूर कर शांति-पूर्ण वातावरण बनाये रखना श्रम विभाग की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के द्वारा दिन प्रति दिन के कई छोटे-मोटे विवादों का निराकरण किया गया। सज्जन मिल, रतलाम का सन् ५०-५१ का बोनस का मामला तथा दलौदा शक्कर मिल की एक माह की बंदी के वेतन का विवाद सफलतापूर्वक इस वर्ष सुलझाया गया। जावरा शक्कर मिल के बोनस के पुराने प्रकरण का भी निराकरण किया गया, जिससे तमाम मजदूरों को एक माह के वेतन के बराबर बोनस दिया गया।

सन् ४९-५१ के बोनस के प्रश्न को लेकर उज्जैन में वत्तमान आर्थिक वर्ष में विवाद खड़ा होगया था। शासन की सहायता से दोनों वर्गों में आपसी समझौता होकर विवाद समाप्त हुआ।

मध्यभारत के सबल तथा संतुलित ट्रेड यूनियन आंदोलन (Trade Union movement) ने कई विवाद जैसे, इन्दौर की कपड़ा मिलों के बोनस का मामला, शान्ति पूर्ण ढंग से तथा आवश्यकता पड़ने पर शासन का सहयोग प्राप्त कर सुलझाने का सफल कार्य किया है।

राजकुमार मिल बंदी प्रकरण.—

जिन गंभीर विवादों (Disputes) में शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, उनमें राजकुमार मिल, इन्दौर की ताला-बंदी का मामला उल्लेखनीय है। मिल के व्यवस्थापकों के द्वारा गत मई माह में मिल घाटे में चल रही है, यह बतला कर मिल बन्द कर देने पर सैकड़ों की संख्या में

मजदूरों के बेकार होजाने से इन्दौर की औद्योगिक शांति को भारी क्षति पहुंची। नगर की व्यवस्था तथा शांति कायम रखने के लिये शासन द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई एवं केन्द्रीय शासन के टेक्स्टाइल कमिश्नर के द्वारा मिल के बंद होने के कारणों की जांच करवाई गई। केन्द्रीय शासन की सहायता, शासन के विशेष प्रयत्न तथा मिल मालिक एवं श्रमिक वर्ग के सहयोग से मिल ने पुनः अगस्त माह से कार्य आरम्भ कर दिया है। केन्द्रीय टेक्स्टाइल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में मिल को चालू रखने के संबंध में जो सिफारिशें की है, उनको कार्यान्वित करने में श्रम तथा उद्योग संचालक मिल के व्यवस्थापकों तथा श्रमिक वर्ग को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

विनोद और हीरा मिल के रिंग स्पिनिंग विभाग में मशीनों की दोनो बाजू पर काम करने के लिये एक ही श्रमिक रखने की प्रथा (Double-side working) चालू कर देने और कुछ मजदूरों को मिल से अलग कर देने के कारण उत्पन्न परिस्थिति का अनुचित फायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया गया था, किन्तु शासन की ओर से विवाद-ग्रस्त प्रश्न को सुलझा दिया गया और स्थिति बिगड़ने नहीं दी गई। इसी प्रकार जे. सी. मिल, ग्वालियर में और मालवा वनस्पति वेजिटेबल फेक्टरी, इन्दौर में कुछ औद्योगिक विवाद उपस्थित हो गये थे, जो शासन के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निपटाये गये। यह स्पष्ट होगा कि वर्त्तमान आर्थिक वर्ष ५२-५३ में अनेक विवाद तथा झगड़े उपस्थित होने के बावजूद भी प्रान्त की औद्योगिक शांति श्रमिकों के अनुशासन पूर्ण संगठन और शासन के प्रयत्न से भंग न होने पाई।

बेकारी का निराकरण.—

वर्त्तमान आर्थिक वर्ष में राजकुमार मिल, इन्दौर तथा देवास मिल कुछ समय बंद रहने से तथा ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरों में मिलों के द्वारा

नई मशीनों का उपयोग प्रारंभ किया जाने के फलस्वरूप मजदूरों को कमी में लाने के कारण बेकारी की समस्या साधारणतः बनी रही । गन्ना, तेल तथा इंजिनियरिंग उद्योग में भी कुछ मजदूरों को बेकारी का सामना करना पड़ा ।

इस प्रकार की स्थिति के पीछे अनेक कारण होने से उसका पूर्णतया निराकरण शासन के लिये संभव न था, फिर भी शासन ने डीकेज्युअलाइ-जेशन (Decasualisation) योजना तथा मुआयजा आदि के द्वारा मजदूरों को अधिक से अधिक राहत देने का प्रयत्न किया।

इन्दौर टेक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी तथा मजदूरों की संख्या का प्रमाणीकरण

Standardization of Muster.—

इन्दौर की कपड़े की मिलों की विविध समस्याओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये दिसम्बर १९४९ में शासन ने तत्कालीन अर्थ सलाहकार डॉ. एल. सी. जैन की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की थी जिसकी सदस्यता में श्री. व्यं. वि. द्रविड़ तथा श्री आर. सी. जाल भी सम्मिलित थे । मार्च सन् १९५२ में श्री द्रविड़ के मंत्रि-मंडल मेंआ जाने के कारण, शासन ने उनके रिक्त स्थान की पूर्त्ति श्री रामसिंह भाई की नियुक्ति के द्वारा की। इस समिति के द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट शासन को दिसम्बर १९५२ में प्रस्तुत की गई है । गत जनवरी माह में समिति ने पंच के नाते अपना निर्णय दिया है जिसमें, मुख्यतः मजदूरों की संख्या (Standardization of Muster) के सम्बन्ध में निश्चयात्मक सुझाव दिये गये हैं। समिति ने मिल के कुछ मुख्य विभागों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या निश्चित

की है तथा प्रत्येक मजदूर के कार्यभार (Work-load) के बारे में भी निश्चित सुझाव दिये हैं। इस निर्णय के फलस्वरूप आवश्यकता से अतिरिक्त (Surplus) मजदूरों को दूसरे विभागों में काम दिलाने या उन्हें कुछ मुआवजा देने के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है। समिति के निर्णय पर कार्यवाही की जारही है। डॉक्टर एल. सी. जैन के मध्य भारत से बाहर चले जाने के कारण अब उक्त समिति के अध्यक्ष श्री ढ़ंढा बनाये गये हैं, जो भूतपूर्व इन्दौर राज्य में डिप्टी प्राइम-मिनिस्टर थे तथा जिन्हें श्रमिक वर्ग तथा मिलों की समस्याओं का अच्छा अनुभव है। शासन को यह विश्वास है कि कपड़ा उद्योग की विविध कठिनाइयों तथा समस्याओं का निराकरण करने के हेतु उचित परामर्श ेने में यह समिति उपयोगी सिद्ध होगी।

ग्वालियर, उज्जैन तथा रतलाम की कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में भी मजदूरों की संख्या के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्यवाही की जारही है। साथ ही शासन मजदूरों के काम की हालत (Working Conditions) में सुधार करने के सम्बन्ध में प्रयत्नशील है।

बदली नियंत्रण समिति.—

टेक्सटाइल मजदूरों के यूनियन तथा मिल मालिक संघ के प्रतिनिधियों के आपसी समझौते से सन् ५१ में बनाई गई बदली नियंत्रण समिति ने कमी में लाये गये मजदूरों को काम दिलाने में सफल कार्य किया। अक्टूबर सन् ५१ से सितम्बर ५२ तक इस समिति के बन जाने के फलस्वरूप ४८७३ रजिस्टर्ड निर्व्यवसायी व्यक्तियों में से २७१२ (५५·६५ प्रतिशत) व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। इस प्रकार की एक समिति उज्जैन में भी बनाई गई है।

एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज.—

नवम्बर सन् ५१ में इन्दौर में स्थापित एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के कार्य की सफलता देखकर गत दिसम्बर १९५२ में एक एक्सचेन्ज कार्यालय लश्कर में भी स्थापित किया गया है। इस कार्यालय में संचालन का ६० प्रतिशत व्यय केन्द्रीय शासन तथा शेष मध्य भारत शासन वहन करेगा।

पंचवर्षीय योजना तथा श्रम कल्याण.—

फैक्ट्री एक्ट, १९४८ के अन्तर्गत मजदूरों के लिये क्रेचेस, केन्टीन, भोजनालय तथा उनके वालकों के लिये नर्सरी आदि की व्यवस्था रखी गई है किन्तु इसे कार्यान्वित करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में तथा श्रमिकों के जीवन-स्तर को सर्वांगीण दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिये उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के सम्वन्ध में शासन कार्यवाही कर रहा है। इन्दौर में दो तथा ग्वालियर में एक श्रम कल्याण केन्द्र (Labour Welfare Centre) चलाये जा रहे है, जिन्हें शासन की ओर से क्रमशः १२,००० तथा ६,००० की सहायता प्रति वर्ष दी जाती है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उज्जैन तथा रतलाम में भी इस वर्ष दो श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये हैं।

श्रम कल्याण केन्द्रों का उद्देश्य.—

श्रम कल्याण केन्द्र की योजना का मूल उद्देश्य श्रमजीवी वर्ग में, व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वस्थ, सुखी व सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा उत्पन्न करना व इस दिशा में प्रारंभिक रूप से यथा संभव सुनियोजित प्रवृत्तियाँ चलाना है। योजना के अनुसार श्रमिक बस्ती में किसी सुविधाजनक स्थान पर एक केन्द्र स्थापित किया जायगा जहां खेल, अखाड़ा, वाचनालय, चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रचार, स्वल्पाहारगृह, शिशुगृह तथा पाठशाला, प्रौढ शिक्षा केन्द्र, महिला

मंडल, नवयुवक संघ तथा स्वयंसेवक दल, नाट्य समाज तथा प्रदर्शन आदि विभिन्न प्रवृत्तियाँ चलाई जायंगी।

स्वास्थ्य केन्द्र.—

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मुख्य औद्योगिक नगरों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की योजना है। यह केन्द्र प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र का कार्य भी करेंगे। मजदूरों के स्वास्थ्य को सुधारने की अन्य प्रवृत्तियों व सुविधाओं के साथ इन केन्द्रों पर अनुभवी डॉक्टरों के एक पेनल बनाये जाने की व्यवस्था की जायगी, जिससे साधारण आर्थिक स्थिति के रोगी अपने रोगों की जांच अनुभवी तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों से निशुल्क करा सकेंगे। शासन को विश्वास है कि अनुभवी विशेषज्ञ इस जन कल्याण कार्य के लिये अवैतनिक रूप से (यात्रा व्यय के अतिरिक्त) उपलब्ध हो सकेंगें। आगामी वर्ष ५३-५४ में दो स्वास्थ्य केन्द्र, एक इन्दौर तथा दूसरा ग्वालियर में स्थापित किये जावेंगे। यह केन्द्र कुटुंब-नियोजन तथा संतति-निरोध शिक्षण-केन्द्र का कार्य भी करेंगे।

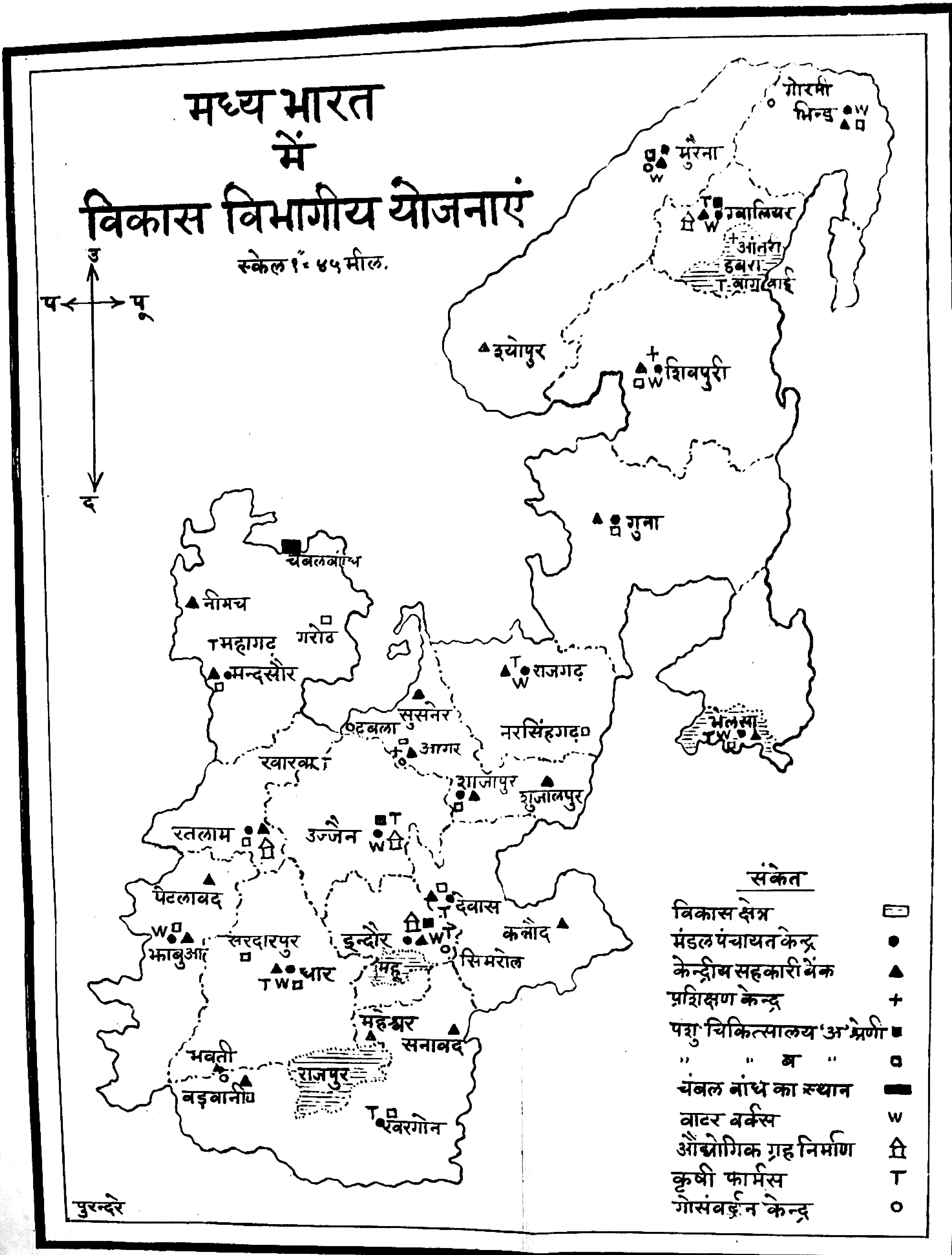
औद्योगिक गृह-निर्माण.—

नौकरी या काम मिल जाने के बाद आज के मजदूर की मुख्य समस्या रहने के लिये मकान उपलब्ध होने की सुविधा प्राप्त होना है। संसार के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है, तथा भारत सरकार का ध्यान भी अब इस ओर आकृष्ट हुआ है। भूतपूर्व इन्दौर शासन ने सन् ४९ में ही सुखलिया क्षेत्र में लगभग १,३०० मकान मजदूरों के रहने के लिये बनाने की एक योजना बनाई थी। इस उपनिवेश (Colony) का विकास करने के लिये सड़क, नालियां, पुलिया, कुंवे आदि बनाये जा चुके हैं तथा लगभग ८ लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। इसी बीच इस वर्ष केन्द्रीय शासन ने राज्य शासन को गृह-निर्माण के हेतु आर्थिक सहायता (Subsidy) देने की एक योजना बनाई

है। परिणामतः मध्यभारत की औद्योगिक गृह-निर्माण योजना में आवश्यक परिवर्तन किया जाकर उसे केन्द्रीय योजना के अनुकूल बनाया गया है। इस नई योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में, भवन-निर्माण के हेतु मार्च १९५३ तक २६ लाख ४२ हजार रु. की धनराशि केन्द्र से प्राप्त होगी, जिससे ५०० मकान इन्दौर, ३१२ ग्वालियर, १०० उज्जैन तथा १०० रतलाम में बनाये जाने निश्चित हुए हैं। २२ दिसम्बर १९५२ को श्री मुख्य-मंत्री जी द्वारा सुखलिया में उक्त योजना के अन्तर्गत पहले मकान की नींव डाली जाकर गृह-निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है। विभाग मजदूरों की गृह-निर्माण सहकारी समितियां बनाकर इस कार्य को गति देने मे प्रयत्नशील है। मालवा मिल के मजदूरों के द्वारा गत ८ दिसम्बर को गृह-निर्माण सहकारी समिति स्थापित की जाकर इस कार्य का श्री गणेश किया जा चुका है। भवन-निर्माण की इस योजना का संचालन नगर-विकास विभाग द्वारा किया जारहा है।

विभाग से संबंधित कार्यालयों का संगठन

- **मंत्री**
  - **उप-मंत्री**
    - **सेक्रेटरी प्रजा-कार्य विभाग चम्बल योजना**
      - चीफ इंजीनियर, चम्बल.
      - सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर (चम्बल वर्क्स).
      - एक्झीक्यूटिव इंजीनियर (केनाल डिवीजन).
    - **सेक्रेटरी, विकास तथा श्रम विभाग**
      - **कृषि विभाग.**
        - कृषि संचालक.
        - संयुक्त संचालक (अनुसन्धान) एवं प्रिन्सिपाल, कृषि महाविद्यालय.
        - उप-संचालक, हेड-क्वार्टर्स.
        - उप-संचालक, उत्तरी क्षेत्र.
        - उप-संचालक, दक्षिणी क्षेत्र.
        - कृषि इंजीनियर.
      - **कृषि उत्पादन विभागः**
        - कृषि उत्पादन आयुक्त.
        - डायरेक्टर, एक्स-टेन्शन.
        - डिप्टी कलेक्टर, गहन कृषि, क्षेत्र, भेलसा.
      - **पशु-चिकित्सा तथा पशु-सुधार विभाग**
        - संचालक, पशु-चिकित्सा तथा पशु-सुधार विभाग.
        - उप-संचालक, पशु-चिकित्सा.
        - उप-संचालक (पशु-सुधार).
        - मत्स्योद्योग विकास अधिकारी.
      - **सहकारिता, पंचायत व ग्राम सुधार विभाग एवं सामुदायिक योजनाएं.**
        - डेवलपमेन्ट कमिश्नर तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां.
        - डिप्टी कमिश्नर, ग्वालियर क्षेत्र.
        - डिप्टी कमिश्नर, इन्दौर क्षेत्र.
        - प्रोजेक्ट एक्झीक्यूटिव ऑफिसर्स, (अ) हरसी योजना. (ब) राजपुर योजना.
        - लीडर, पायलॉट डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, महू.
        - प्रिन्सिपाल, प्रशिक्षण केन्द्र, आंतरी.
      - **श्रम विभाग**
        - श्रम आयुक्त.
        - उप-आयुक्त, श्रम विभाग.
        - चीफ इन्सपेक्टर, फैक्टरीज.
        - चीफ इन्सपेक्टर, वायलर्स.
        - लेबर ऑफिसर्स, कन्सीलिएशन ऑफिसर्स.
        - जज, इन्डस्ट्रियल व लेबर कोर्ट.
    - **सेक्रेटरी, नगर-सुधार, गृह-निर्माण तथा जन-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग**
      - **नगर-सुधार, गृह-निर्माण तथा जन-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग**
        - सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर.
        - एक्झीक्यूटिव इंजीनियर (ग्वालियर डिवीजन).
        - एक्झीक्यूटिव इंजीनियर (इन्दौर डिवीजन).
        - एक्झीक्यूटिव इंजीनियर (उज्जैन डिवीजन).



ग. सें. प्रेस, ग्वालियर. १४ ३.